[2020] 5 एस. सी. आर 755

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण

वी.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 2566)

17 मार्च, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986-बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976--

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006-परिधीय रिंग रोड परियोजना-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उक्त पी. आर. आर. परियोजना के लिए अपीलार्थी को दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया-एन. जी. टी. का विचार था कि जिस प्राथमिक डेटा पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट आधारित थी, वह राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से 3 साल से अधिक समय पहले एकत्र किया गया था-ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में पर्याप्त देरी हुई थी-तदनुसार, एन. जी. टी. ने अपीलार्थी को एक नया त्वरित ई. आई. ए. करने का निर्देश दिया और परियोजना प्रस्तावक को स्पष्ट किया कि वह विवादित पर्यावरण मंजूरी के आधार पर आगे न बढ़े-अपील पर कहा गयाः तत्काल मामले में, उचित प्रक्रिया की विफलता थी

संदर्भ की शर्तों को जारी करने से शुरू करके और पी. आर. आर. परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी के अनुदान के लिए अग्रणी अपीलार्थी, परियोजना प्रस्तावक के रूप में, एक समाप्त हो चुकी अवधि पर भरोसा करना चाहता था।

संदर्भ की शर्तें और अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे बढ़े

पुराने प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर-साथ ही, पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी

वन भूमि के अस्तित्व पर विरोधाभासों के साथ परियोजना के लिए मोड़ने के साथ-साथ पेड़ों की संख्या को काटने के लिए आवश्यक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में अपनी भूमिका और कार्य का त्याग करते हुए केवल अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर भरोसा किया और समय-समय पर एमओईएफ-सीसी द्वारा जारी ओएम के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रही-राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 2006 की अधिसूचना के तहत अपने मौलिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही-इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुएः (i) अपीलार्थी ने प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के लिए एक नया त्वरित ई. आई. ए. संचालित करने का निर्देश दिया; (ii) अपीलार्थी, इस उद्देश्य के लिए।

त्वरित ई. आई. ए. का संचालन करने के लिए, एक क्षेत्र-विशिष्ट मान्यता प्राप्त ई. आई. ए. सलाहकार को नियुक्त करना; (iii) अपीलकर्ता समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार करने से पहले राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत विभिन्न अधिनियमों के तहत आवश्यक मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए; (iv) राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इसके बाद 2006 की अधिसूचना के तहत उसे सौंपी गई भूमिका के अनुसार त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट का आकलन करेगी और यदि यह राय है कि अपीलकर्ता ने 2006 की अधिसूचना के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है, तो ही वह राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश करेगी।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पर्यावरण की सुरक्षा न केवल अदालतों की सक्रिय भूमिका पर आधारित है, बल्कि मजबूत भूमिका पर भी आधारित है

संस्थागत ढांचा जिसके भीतर प्रत्येक हितधारक सतत विकास सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का पालन करता है। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध पर्यावरण शासन के ढांचे के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधि निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शासन कानून के शासन पर आधारित है और हमारे संविधान के मूल्यों से उभरता है। जहां संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, पर्यावरण निर्णय लेने के लिए उचित संरचनाएं गारंटी में अभिव्यक्ति पाती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना कार्रवाई और निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ। सतत विकास केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता के निवारण पर आधारित नहीं है।

पर्यावरण के संरक्षण में संस्थान, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि ऐसी विफलताएं न हों। [पैरा 79] [809-एफ-एच; 810-ए बी]

2. वर्तमान मामले में, संदर्भ की शर्तों को जारी करने से शुरू होने वाली उचित प्रक्रिया विफल रही है और परिधीय रिंग रोड परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी के अनुदान के लिए अग्रणी। अपीलार्थी, परियोजना प्रस्तावक के रूप में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े

ई. सी. का अनुदान वन भूमि के अस्तित्व पर विरोधाभासों से भरा था जिसे परियोजना के लिए डायवर्ट किया जाना था और साथ ही काटने के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या। [पैरा 80] [810-बी-सी]

3. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में केवल प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करके अपनी भूमिका और कार्य का त्याग कर दिया

एक ईसी के अनुदान के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण को सिफारिश, यह सामग्री के लिए दिमाग के अनुप्रयोग दोनों को सुनिश्चित करने के अपने मौलिक कर्तव्य में विफल रहा इसे प्रस्तुत करने के साथ-साथ उन कारणों को प्रस्तुत करना जो 2006 की अधिसूचना के तहत करने के लिए अनिवार्य हैं। [पैरा 81] [810-डी-ई]

4. मामले के इस दृष्टिकोण में, न तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और न ही निर्णय स्वयं कानूनी रूप से पारित हो सकता है। समान रूप से,

इस न्यायालय को विकास को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहतः (i) अपीलार्थी को प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के लिए एक नया त्वरित ई. आई. ए. संचालित करने का निर्देश दिया जाता है;

((ii) अपीलार्थी त्वरित ई. आई. ए. के संचालन के उद्देश्य से एक क्षेत्र-विशिष्ट मान्यता प्राप्त ई. आई. ए. सलाहकार को नियुक्त करेगा। (iii) अपीलार्थी वर्तमान निर्णय में उल्लिखित विभिन्न कमियों को ध्यान में रखेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि [2020] 5 एस. सी. आर.

पर्यावरण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है;

((iv) अपीलार्थी यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित मंजूरी

विभिन्न अधिनियमों के तहत समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार करने से पहले एस. ई. ए. सी. को प्राप्त और प्रस्तुत किया गया है।

(v) इसके बाद एस. ई. ए. सी. त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट का आकलन करेगा।

और अपीलार्थी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी

2006 की अधिसूचना के तहत इसे सौंपी गई भूमिका के अनुसार। यदि यह राय है कि अपीलार्थी ने 2006 की अधिसूचना के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है, तो केवल तभी वह एस. ई. आई. ए. ए. को प्रस्तावित परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश करेगा। एस. ई. ए. सी. और एस. ई. आई. ए. ए. हवा, पानी, शोर, भूमि, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण और अन्य स्थितियों से संबंधित उचित शर्तों को निर्धारित करेंगे। फिट; और

(vi) अपीलार्थी अपेक्षित प्राधिकारी से परामर्श करेगा -

यह सुनिश्चित करें कि परियोजना से पेट्रोलियम पाइपलाइनों को कोई संभावित नुकसान न हो, जिन पर प्रस्तावित सड़क हो सकती है।

बनाया गया। [पैरा 83] [810-डी-एच; 811-ए-ई]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन (2018) 17 एससीसी

394 [2018] 10 एससीआर 974; लाफार्ज उमियम माइनिंग

प्राइवेट लिमिटेड v. भारत संघ (2011) 7 एससीसी 338:

[2011] 7 एस. सी. आर. 954-पर निर्भर।

श्रीरंगनाथन के पी वी. भारत संघ 2014 सभी (1)

एनजीटी रिपोर्टर (1) (एसजेड) 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018 10 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2011] 7 एससीआर 954

उस पर भरोसा करें

पै

रा 75

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2566

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 08.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की अपील संख्या 27 में हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण श्री. सुधाकर हेगड़े

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आनंद संजय एम. नु सूरज कौशिक, नंदा कुमार के. बी., भावरतन, मेसर्स। अपीलार्थी के लिए एन।

निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. वी. एस. राघवेंद्र श्री गुलाटी श्रेयस, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सूचकांक

एक परिचय बी प्रस्तुतियाँ

सी मुद्दे डी पी . आर. आर. परियोजना शुरू होने की तिथि

ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की प्रयोज्यता

एफ ई. आई. ए. l के तहत प्रक्रिया का अनुपालन

जी ई. आई. ए. रिपोर्ट में कमियां

जी. 1 ई. आई. ए. सलाहकार का प्रत्यायन

जी. 2 वन भूमि

जी. 3 पेड़

जी. 4 पाइपलाइन

एच एस. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

1 अदालतें और पर्यावरण

जे दिशाएँ

एक परिचय

1 एनजीटी 2 ईसी

कि प्राथमिक आँकड़ा जिस पर पर्यावरण प्रभाव आकलन 4 रिपोर्ट आधारित थी, उसके तीन साल से अधिक समय पहले एकत्र किया गया था। 3. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत करना। एन. जी. टी. का विचार था कि इस पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं था

ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में काफी देरी होने के कारण चुनाव आयोग को रद्द करने के समर्थन में अन्य दलीलें। तदनुसार, एनजीटी ने अपीलार्थी को एक नए त्वरित ईआईए का संचालन करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि "परियोजना प्रस्तावक इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। विवादित पर्यावरण मंजूरी का आधार "। एनजीटी के आदेश को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ता, परियोजना प्रस्तावक के रूप में, इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

2. कुशलता की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए

परिवर्त्तन, यातायात की भीड़ को संबोधित करना और बैंगलोर मैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (एन. आई. सी. ई. रोड) को अधिक पहुंच बिंदुओं से जोड़ना, अपीलार्थी ने 2005 में पी. आर. आर. परियोजना योजना तैयार की। परियोजना के निष्पादन के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम 19766 की धारा 17 (1) और (3) के तहत 27 मई 2005 को एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी। परियोजना का घोषित उद्देश्य थाः

" 1) बैंगलोर शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए;

2) इंटरसिटी कनेक्टिविटी और इंटरसिटी ट्रैफिक को पूरा करने के लिए; 3) शहर में प्रदूषण को कम करना;

4) भारी वाहनों यानी लॉरी और ट्रकों की आवाजाही को कम करना। और

5) बाहरी रिंग रोड पर यातायात को कम करने के लिए "।

3. एक अन्य प्रारंभिक अधिसूचना 23 सितंबर 2005 को जारी की गई थी जो प्रस्तावित सड़क परियोजना के पुनर्गठन से संबंधित थी। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना 29 जून 2007 को जारी की गई थी। अधिसूचनाओं को लिखित कार्यवाही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस आधार पर कि अपीलार्थी के पास अधिसूचना जारी करने और प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। 22 जुलाई 2014 के एक फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता को बीडीए अधिनियम के तहत विचाराधीन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके खिलाफ रिट अपील को 9 फरवरी 2017 को चूक के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

6 बीडीए अधिनियम

7 डब्ल्यू. पी. सं. 4550/2008 बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

4. परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपीलार्थी ने 10 सितंबर 2009 को ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 9 के तहत एस. ई. आई. ए. ए. को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

पी. आर. आर. के लिए ईसी की मांग करना। संदर्भ 1 की शर्तें राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा 21 नवंबर 2009 को तैयार की गई थीं।

ईसी के अनुदान को चुनौती देना। एनजीटी ने 15 तारीख के एक अंतरिम आदेश द्वारा अप्रैल 2015 ने निर्वाचन आयोग पर अंतरिम रोक लगा दी। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष रखी गई ई. आई. ए. रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए, अपीलार्थी का वकील प्रस्तुत करेगा कि रिपोर्ट का पहला भाग स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि यदि सड़क का निर्माण किया गया था, तो यह आरक्षित वन से होकर गुजरेगा और बाद के हिस्से में यह प्रस्तुत करेगा कि वन मंजूरी आवश्यक नहीं है जो अपने आप में सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगी। ई. आई. ए. रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि यदि प्रस्तावित सड़क का निर्माण किया जाना है तो लगभग 200 पेड़ों को काटा जाना था जो सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट से पूरी तरह से असंगत है।

बागवानी और वन विभाग। उनकी रिपोर्ट के अनुसार,

इसके लिए 16,685 पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी। अपीलार्थी के वकील द्वारा आगे जोड़ा गया कि यदि प्रस्तावित सड़क की अनुमति दी जाती है

मंगलौर से बैंगलोर तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए बिछाया गया और अगर भविष्य में कोई रिसाव होता है तो यह गंभीर स्थिति पैदा कर देगा परिणाम।

स्थगन का अंतरिम आदेश देने के लिए अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया एक मामला मौजूद है।

एनजीटी ने अपीलार्थी के प्रस्तुत करने और एक आरक्षित वन के अस्तित्व के बीच विसंगति को नोट किया जिसके माध्यम से प्रस्तावित सड़क को गुजरना था। एनजीटी ने दर्ज किया कि ई. आई. ए. की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए केवल 200 पेड़ काटे जाएंगे।

8 नहीं। बी. डी. ए./ई. एम./टी. ए. 3/पी. आर. आर./ई. आई. ए./टी333/09-10 9 2006 अधिसूचना

10 टीओआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बागवानी और वन विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए लगभग 16,685 पेड़ों को काटने की आवश्यकता होगी। 8 फरवरी 2019 के अपने अंतिम आदेश द्वारा, एनजीटी ने एसईआईएए द्वारा दिए गए ईसी के संचालन पर रोक लगा दी। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" पर्यावरण मंजूरी 20.11.2014 पर दी गई थी। इस प्रकार,

प्राथमिक आंकड़ा ई. आई. ए. से तीन साल पहले का था।

रिपोर्ट करें। वन भूमि के आंकड़ों के साथ-साथ बी. डी. ए. द्वारा तैयार किए गए संशोधित मास्टर प्लान, 2015 के प्रावधानों के संबंध में ई. आई. ए. रिपोर्ट में चूक है। थिप्पागोंडनहल्ली जलाशय (टी. जी. आर.) जलग्रहण क्षेत्र को ई. आई. ए. रिपोर्ट में दबा दिया गया है। ग्रीन कवर के विवरण की अनदेखी की गई है। आगे आपत्ति यह है कि पेट्रोलियम पाइपलाइनों के लिए क्षेत्र की निकटता है और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के लिए निर्धारित भूमि परियोजना को ओवरलैप करती है। अपीलार्थी के अनुसार, चरण-I वन मंजूरी आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं की गई थी।

इस पेटेंट तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई. आई. ए. में पर्याप्त देरी हुई थी और उसके बाद भी लगभग पांच साल की अवधि बीत गई थी, उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। इस न्यायाधिकरण ने 15.04.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर विचार किया। इस प्रकार, यह न्याय के हित में होगा कि एक नया त्वरित ई. आई. ए. आयोजित किया जाए। यदि परियोजना देय राशि को शामिल करने के बाद व्यवहार्य पाई जाती है

अपीलार्थी के सुझावों सहित उपशमन के उपाय,

इसे बिना किसी और देरी के उठाया जा सकता है।

एनजीटी ने अपीलार्थी को तेजी से ई. आई. ए. करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि उपशमन उपायों को शामिल करने के बाद परियोजना व्यवहार्य पाई जाती है, तो इसे बिना किसी देरी के पूरा किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा 15 मार्च 2019 को नोटिस जारी किया गया था।

बी प्रस्तुतियाँ

5. एनजीटी के आदेश पर जोर देते हुए, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया किः

(i) 2006 की अधिसूचना एक परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध करने के लिए बाध्य करती है।

केवल उन परियोजनाओं के लिए पूर्व ईसी जो अनुसूची में सूचीबद्ध हैं अधिसूचना। अनुसूची के पैरा 7 (च) में केवल वे परियोजनाएं शामिल हैं जो या तो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग हैं। पी. आर. आर. परियोजना किसी भी राष्ट्रीय योजना के दायरे में नहीं आती है।

राजमार्ग अधिनियम 1956 या कर्नाटक राजमार्ग अधिनियम 1964।

लुरू विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर जी. डी. ई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नतीजतन, अपीलार्थी 2006 की अधिसूचना के तहत पी. आर. आर. परियोजना के लिए पूर्व निर्वाचन आयोग की मांग करने के लिए बाध्य नहीं था;

2006 की अधिसूचना 14 सितंबर 2006 को आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हुई। यह इसके अनुप्रयोग में संभावित है। पी. आर. आर. परियोजना बी. डी. ए. अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद 23 सितंबर 2005 को शुरू हुई और इस प्रकार, 2006 की अधिसूचना लागू होने की तारीख को, पी. आर. आर. के लिए पूर्व ई. सी. की मांग करने के लिए अपीलकर्ता पर कोई दायित्व मौजूद नहीं था। परियोजना;

अपीलार्थी ने ई. आई. ए. प्रक्रिया को निष्पादित किया और इसके लिए आवेदन किया

प्रचुर सावधानी से एक ईसी का अनुदान; पहले प्रतिवादी ने एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा निर्वाचन आयोग के अनुदान को केवल इसलिए चुनौती दी है क्योंकि पी. आर. आर. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय में उनकी अपील असफल रही थी। वर्तमान कार्यवाही केवल अधिग्रहण कार्यवाही में देरी करने का एक तरीका है।

एस. ई. ए. सी. ने अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया

प्रस्ताव को बंद करने के लिए एस. ई. आई. ए. ए. को एक सिफारिश भेजें। एस. ई. ए. सी. ने एस. ई. आई. ए. ए. को सिफारिश की

देय समय के बाद विचाराधीन परियोजना को ईसी का अनुदान

ई. आई. ए. की 121 वीं बैठक में रिपोर्ट पर विचार

11 और 18 नवंबर 2014; और

में प्रस्तुत ई. आई. ए. रिपोर्ट में वनों, पेड़ों की कटाई और जलाशय के संरक्षण पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया था। 2014 , जिसके आधार पर पी. आर. आर. परियोजना को ई. सी. प्रदान किया गया था।

दूसरी ओर, श्री निखिल नय्यर, प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दियाः

2006 की अधिसूचना में उपयोग किए गए 'राजमार्ग' या 'एक्सप्रेसवे' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और यह केंद्रीय या राज्य सरकार के तहत अधिसूचना जारी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए।

राज्य अधिनियम;

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और कर्नाटक राज्य राजमार्ग अधिनियम 1964 दोनों भूमि अधिग्रहण, इसके विकास और [2020] 5 एस. सी. आर. के संग्रह से संबंधित अनुमतियों से संबंधित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुल्क/शुल्क। वैधानिक ढांचे में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मामलों में 'राजमार्ग' शब्द की व्यापक परिभाषा की परिकल्पना नहीं की गई है। अपीलार्थी ने स्वयं अपनी ई. आई. ए. रिपोर्ट में स्वीकार किया कि पी. आर. आर. परियोजना एक श्रेणी 'बी' परियोजना है जो 2006 की अधिसूचना के तहत अनुसूची के पैरा 7 (एफ) के दायरे में आती है।

पी. आर. आर. परियोजना के लिए प्राथमिक आंकड़ा दिसंबर 2009 और फरवरी 2010 के बीच एकत्र किया गया था। ई. ए. सी. ने वर्ष 2014 में चार साल से अधिक की पर्याप्त देरी के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया का संचालन किया। यह उस उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए टीओआर जारी किए जाते हैं क्योंकि पर्यावरण की स्थिति लगातार खराब होती रहती है।

बदल रहा है; पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2010 को जारी एक ओ. एम. में कहा गया है कि ई. आई. ए.

एस. ई. आई. ए. ए. ने 17 मई 2013 को पी. आर. आर. परियोजना के लिए फाइल को बंद करने का निर्णय लिया, जो निर्णय 25 जुलाई 2013 को अपीलार्थी को सूचित किया गया था। एस. ई. आई. ए. ए. की कार्रवाई से व्यथित एक पक्ष केवल एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 के तहत अपील दायर कर सकता है और एस. ई. आई. ए. ए. अपीलार्थी के अनुरोध पर फाइल को फिर से खोलने के लिए अधिकृत नहीं था; वर्ष 2014 में कोई अतिरिक्त आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में एक त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 2006 की अधिसूचना के तहत अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे फरवरी 2014 में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया था; और

ई. आई. ए. रिपोर्ट में महत्वपूर्ण चूक हैं।

वन भूमि, हरित क्षेत्र, काटने के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या, थिप्पागोंडनहल्ली जलाशय में जलग्रहण क्षेत्र और

2014 में इसका नाम बदलकर एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. कर दिया गया बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नीचे पेट्रोलियम पाइपलाइनों के लिए पी. आर. आर. परियोजना की निकटता। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामग्री को छिपाना

एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा दिए गए ई. सी. को अमान्य करता है।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।

सी मुद्दे 8. अनिवार्य रूप से इस न्यायालय को यह निर्णय लेना आवश्यक हैः

(i) क्या पी. आर. आर. परियोजना 2006 की अधिसूचना के लागू होने से पहले शुरू हुई थी; (ii) क्या पी. आर. आर. परियोजना 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 7 (एफ) के दायरे में आती है जो परियोजना प्रस्तावक को बाध्य करती है -

पूर्ववर्ती ईसी की तलाश करें; और

(iii) क्या अपीलार्थी ने 2006 की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों और समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. का पालन किया है।

डी पी. आर. आर. परियोजना शुरू होने की तिथि

9. इस न्यायालय को यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या यह बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना है या अंतिम अधिसूचना।

बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना जो परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल की पहचान का गठन करती है और 2006 की अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए इसकी शुरुआत को चिह्नित करती है।

10. 27 जनवरी 1994 को, एम. ओ. ई. एफ. ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (d) के साथ पठित, किसी भी गतिविधि या नई परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध और निषेध लगाने वाली अधिसूचना जारी की गई, जब तक कि अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व निर्वाचन आयोग की मंजूरी नहीं दी गई हो। 14 सितंबर 2006 को, एमओईएफ ने पिछली अधिसूचना के स्थान पर 2006 की अधिसूचना जारी की। 2006 की अधिसूचना निर्देशित

कि -

" ..... इसके प्रकाशन की तारीख से और आवश्यक

नई परियोजनाओं या गतिविधियों का निर्माण या विस्तार या

में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का आधुनिकीकरण इस अधिसूचना के लिए अनुसूची जिसमें क्षमता वृद्धि शामिल है

प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया जाएगा भारत का कोई भी हिस्सा केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बाद

केंद्र सरकार से या राज्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, विधिवत गठित

केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत

उक्त अधिनियम, इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार

इस अधिसूचना में "।

(जोर दिया गया)

11. 2006 की अधिसूचना अपनी तिथि पर लागू हुई।

प्रकाशन और प्रत्येक परियोजना प्रस्तावक को अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए पूर्व ईसी की मांग करने के लिए बाध्य करता है। 2006 की अधिसूचना के पैरा 2 के अनुसार, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से पूर्व निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होगीः

" 2. पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदनः - अ.

सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन

इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र 1 में किया जाए और

पूरक प्रपत्र 1ए, यदि लागू हो, जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया है, परियोजना के लिए संभावित स्थलों की पहचान के बाद

आवेदक द्वारा स्थल पर भूमि। आवेदक प्रस्तुत करेगा, आवेदन के साथ, पूर्व-व्यवहार्यता परियोजना की एक प्रति

रिपोर्ट सिवाय इसके कि, निर्माण परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में

(अनुसूची की मद 8) प्रपत्र 1 के अतिरिक्त और

पूरक प्रपत्र 1 ए, वैचारिक योजना की एक प्रति होगी

पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के बजाय प्रदान किया गया।

(जोर दिया गया)

एक बार जब आवेदक द्वारा एक संभावित स्थल की पहचान कर ली जाती है

प्रस्तावित परियोजना, ईसी की मांग करने वाले सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र 1 और पूरक प्रपत्र 1 ए में किए जाएंगे, यदि लागू हो, जिसमें प्रस्तावित परियोजना की सीमा और संभावित प्रभाव की एक विस्तृत सूची शामिल है। आवेदन की पहचान के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए संभावित स्थल और किसी भी निर्माण के शुरू होने से पहले बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

गतिविधि, या भूमि की तैयारी। इस प्रकार, परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्रवाई जो पूर्व ईसी की मांग करने के दायित्व के लिए प्रासंगिक है

2006 अधिसूचना प्रस्तावित परियोजना के निष्पादन के लिए संभावित स्थल की पहचान है। 12. बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 2 (ए) "प्राधिकरण" को बैंगलोर विकास प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है जिसका गठन बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है।

एक्ट करें। अधिनियम का अध्याय III विकास योजनाओं और उन प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनका विकास योजना को पूरा करने में पालन किया जाना चाहिए। धारा 15 के तहत, अपीलार्थी बैंगलोर महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत विकास योजना तैयार कर सकता है। धारा 16 (1) आदेश देती है कि अपीलार्थी को योजना के निर्माण में, विकास योजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण भी प्रदान करना चाहिए। धारा 17 में विचार किया गया है

प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना। इसमें लिखा हैः

" 17. योजना के पूरा होने पर प्रक्रिया। - (1) जब कोई विकास योजना तैयार की जाती है, तो प्राधिकरण एक अधिसूचना तैयार करेगा जिसमें किसी योजना के बनाए जाने के तथ्य और उसमें शामिल क्षेत्र की सीमाओं को बताया जाएगा, और एक ऐसे स्थान का नामकरण करेगा जहां योजना का विवरण, उसमें शामिल क्षेत्र का मानचित्र, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण और उस भूमि का विवरण, जिसके संबंध में सुधार कर लागू किया जा सकता है।

लगाया जाना किसी भी उचित समय पर देखा जा सकता है। (2) उक्त अधिसूचना की एक प्रति निगम को भेजी जाएगी, जो उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को सरकार को प्रेषित करने के लिए भेजी जाएगी, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।

योजना के संबंध में उचित समझा जा सकता है।

(3) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना की एक प्रति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और अपने स्वयं के कार्यालय, उपायुक्त के किसी विशिष्ट भाग में चिपकाएगा। निगम का कार्यालय और ऐसे अन्य स्थानों पर जैसे -

प्राधिकरण आवश्यक समझ सकता है। (4) यदि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर निगम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो योजना के लिए निगम की सहमति दी गई मानी जाएगी।

(5) जिस दिन ऐसी अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, उसके अगले तीस दिनों के दौरान प्राधिकरण [2020] 5 एस. सी. आर.

प्रत्येक व्यक्ति को एक सूचना दें जिसका नाम सूची में दिखाई देता है

मुख्य रूप से संपत्ति कर या भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने के रूप में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किसी भी भवन या भूमि का निर्धारण

योजना के निष्पादन में या जिसके संबंध में प्राधिकरण

सुधार कर की वसूली का प्रस्ताव है जिसमें ऐसे व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता होती है

नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कारण

भवन या भूमि का ऐसा अधिग्रहण और पुनर्प्राप्ति क्यों सुधार कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

(6) सूचना पर आदेश द्वारा या उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

[आयुक्त] और सेवा की जाएगी,

(क) व्यक्तिगत प्रसव द्वारा या यदि ऐसा व्यक्ति अनुपस्थित है या नहीं हो सकता है उसके एजेंट पर पाया गया, या अगर कोई एजेंट नहीं मिला, तो छोड़ कर

वही जमीन या इमारत पर; या (बी) उसी पर छोड़ कर

ऐसे व्यक्ति के निवास या व्यवसाय का सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान;

या (ग) सामान्य या अंतिम ज्ञात को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा

ऐसे व्यक्ति का निवास या व्यवसाय का स्थान।

धारा 17 में कहा गया है कि अपीलार्थी तैयारी के बाद

धारा 15 के तहत एक योजना की, अधिसूचित करें कि एक योजना को लागू किया गया है

तैयार

योजना के विनिर्देशों के साथ, उसमें शामिल क्षेत्र का एक नक्शा और अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण। अधिसूचना बैंगलोर शहर के निगम को अग्रेषित की जाती है, जिसे अपीलकर्ता प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए तीस दिन का समय दिया जाता है। मंजूरी के लिए योजना के साथ सरकार को संचरण। धारा 17 (3) में कहा गया है कि अधिसूचना की एक प्रति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और अपीलार्थी और निगम के कार्यालयों के विशिष्ट हिस्सों में चिपकाई जाएगी। धारा 17 (5) आदेश देती है कि अपीलार्थी प्रत्येक व्यक्ति पर सेवा करेगा जिसकी भूमि प्रस्तावित है

तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए एक नोटिस प्राप्त किया कि भवन या भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं होना चाहिए।

13. धारा 18 में कहा गया है कि जहां प्रक्रिया के तहत निर्धारित किया गया है

धारा 17 पूरी हो गई है, अपीलकर्ता किसी भी संशोधन के साथ योजना को कर्नाटक सरकार को उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। धारा 18 में कहा गया है:

" 18. योजना की मंजूरी। - (1) योजना के प्रकाशन के बाद

और धारा 17 में और उसके बाद दिए गए नोटिसों की सेवा

उसके संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार, यदि कोई हो,

प्राधिकरण इस तरह के संशोधन करते हुए योजना प्रस्तुत करेगा।

उसमें सरकार को मंजूरी के लिए, जो वह उचित समझे,

फर्निशिंग, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) योजना के पूर्ण विवरण के साथ एक विवरण जिसमें शामिल हैं

उसमें जोड़े गए किसी भी संशोधन के कारण;

(ख) योजना के निष्पादन की लागत की पूर्ण योजनाएँ और अनुमान;

(ग) अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण; (घ) धारा की उप-धारा (2) के तहत प्राप्त कोई अभ्यावेदन

17 ;

(ई) धारा 17 या भूमि के तहत भूमि से संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को नगरपालिका मूल्यांकन पुस्तक में दर्ज किए गए मूल्य को दर्शाने वाली एक अनुसूची।

निम्नलिखित विवरण में निर्दिष्ट सभी भूमि का निर्धारण

खंड (ग); और (च) ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हों, जो विहित किए जाएं।

(2) जहां कोई विकास योजना घरों के निर्माण के लिए प्रावधान करती है, प्राधिकरण सरकारी योजनाओं को भी प्रस्तुत करेगा।

और घरों के निर्माण के लिए अनुमान। (3) सरकार को सौंपे गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद

आदेश द्वारा योजना को मंजूरी दी जा सकती है।

इस प्रावधान के तहत, अपीलार्थी को अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण एक अनुसूची के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें दिखाया गया है - दर योग्य मूल्य, जैसा कि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को नगरपालिका मूल्यांकन पुस्तक में दर्ज किया गया है। अपीलार्थी सरकार को योजना के पूर्ण विवरण के साथ एक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें किसी भी संशोधन के कारण, योजनाएँ और लागत के अनुमान और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, यदि सरकार प्रस्तावित योजना से संतुष्ट है, तो वह अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत योजना को मंजूरी दे सकती है। धारा 15 के तहत तैयार की गई योजना को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत योजना को मंजूरी दी गई हो।

14. अधिनियम की धारा 19 इस प्रकार है:

" 19. मंजूरी मिलने पर घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाएगा

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण। - (1) योजना की मंजूरी के बाद, सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक घोषणा प्रकाशित करेगी जिसमें इस तरह की मंजूरी के तथ्य को बताया जाएगा और कहा जाएगा कि योजना के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

(2) घोषणा में उन सीमाओं का उल्लेख होगा जिनके भीतर अधिग्रहित की जाने वाली भूमि स्थित है, वह उद्देश्य जिसके लिए वह अधिग्रहित की गई है।

इसकी आवश्यकता, इसका अनुमानित क्षेत्र और वह स्थान जहाँ एक योजना

भूमि का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) उक्त घोषणा निर्णायक साक्ष्य होगी कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है और प्राधिकरण, उक्त घोषणा के प्रकाशन पर, निष्पादन के लिए आगे बढ़ेगा।

योजना।

(4) यदि किसी भी समय प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि योजना के किसी भी हिस्से में सुधार किया जा सकता है, तो प्राधिकरण

उक्त प्रयोजन के लिए योजना में परिवर्तन करना और उप-धारा (5) और (6) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, तुरंत आगे बढ़ना

योजना को परिवर्तित रूप में निष्पादित करें।

(5) यदि परिवर्तित योजना को लागू करने की अनुमानित लागत पांच प्रतिशत से अधिक है, तो अनुमानित राशि

स्वीकृत योजना के निष्पादन की लागत, प्राधिकरण, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, आगे नहीं बढ़ेगा।

योजना को परिवर्तित रूप में निष्पादित करना।

(6) यदि परिवर्तित योजना में धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के अलावा समझौते के अलावा किसी अन्य भूमि का अधिग्रहण शामिल है, तो धारा 17 और 18 और इस धारा की उप-धारा (1) के प्रावधान इस तरह से परिवर्तित योजना के हिस्से पर लागू होंगे।

उसी तरह जैसे कि इस तरह का परिवर्तित हिस्सा योजना थी। " "

धारा 19 के तहत, एक बार जब सरकार अपीलार्थी की योजना को मंजूरी दे देती है, तो सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जिसमें घोषणा की जाती है कि मंजूरी प्राप्त हो गई है और अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। अंतिम अधिसूचना उन सीमाओं को निर्दिष्ट करती है जिनके भीतर अधिग्रहित की जाने वाली भूमि स्थित है और उस स्थान को निर्दिष्ट करती है जिस पर लोग योजना का निरीक्षण कर सकते हैं। अपीलार्थी धारा 19 (4) के तहत उप-धारा (5) और (6) के अधीन योजना में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है। धारा 19 (6) में कहा गया है कि यदि विवरण के अलावा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है

जो धारा 18 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और उस व्यक्ति के साथ समझौते के अलावा, जिसकी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, धारा 17 और 18 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

15. बी. डी. ए. अधिनियम की स्थापना के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था

बैंगलोर शहर और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के विकास के लिए विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आस-पास के क्षेत्र। धारा 17,18 और 19 उस तंत्र को निर्धारित करती है जिसका पालन अपीलार्थी द्वारा धारा 15 के तहत तैयार की गई योजना के लिए सरकारी मंजूरी देने के लिए किया जाना चाहिए। मकसद.

अंतर्निहित धारा 17 निगम और उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, दोनों को प्रस्तावित योजना और परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर प्रदान करना है। यद्यपि योजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि धारा 17 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना में निर्धारित की गई है, लेकिन निगम को एक प्रति भेजने के साथ-साथ उन व्यक्तियों को नोटिस देने का प्रावधान, जिनकी भूमि का उप-अधिग्रहण प्रस्तावित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करता है जहां एक प्रभावित पक्ष को प्रस्तावित योजना पर आपत्ति करने का अधिकार दिया जाता है।

भूमि के किसी भी निर्माण या तैयारी की शुरुआत। यह संभव है कि धारा 15 के तहत एक योजना के निर्माण और धारा 17 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के बाद, सरकारी मंजूरी से इनकार कर दिया जाता है या अपीलार्थी मंजूरी देने या अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले प्रस्तावित योजना को छोड़ देता है। ऐसी स्थितियों में, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल की पहचान करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना है जो 2006 की अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए परियोजना के प्रारंभ को चिह्नित करता है, तो अपीलकर्ता एक प्रस्तावित योजना के लिए ई. आई. ए. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाध्य होगा जो अंततः साकार नहीं हो सकती है। 18. 2006 की अधिसूचना के तहत ई. आई. ए. प्रक्रिया पर्यावरण के विकास और संरक्षण के बीच संतुलन के रूप में कार्य करती हैः दोनों के बीच कोई लेन-देन नहीं है। ई. सी. के अनुदान के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, 2006 की अधिसूचना पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के बीच कथित अंतर को पाटने का प्रयास करती है। 2006 की अधिसूचना का मूल अभिधारणा यह है कि जो मार्ग प्रकटीकरण, अध्ययन, डेटा एकत्र करने, परामर्श और मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है, उसे इस तरह से तैयार किया गया है जो निर्णय लेने को सुरक्षित करेगा जो [2020] 5 एस. सी. आर. है।

प्रस्तावित योजना के बाद धारा 19 को धारा 18 (3) के तहत सरकारी मंजूरी मिल गई है। 19. बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना 29 जून 2007 को सरकारी मंजूरी के बाद जारी की गई थी।

भूमि अधिग्रहण के लिए। यह 2006 की अधिसूचना के लागू होने के बाद, अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया था कि परियोजना

2006 की अधिसूचना के लागू होने से पहले शुरू की गई अधिसूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की प्रयोज्यता

20. अनिवार्य रूप से, इस न्यायालय को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा इस तर्क को संबोधित करने की आवश्यकता है कि पी. आर. आर. परियोजना, जो न तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 2 या कर्नाटक राजमार्ग अधिनियम 1964 की धारा 3 के अंतर्गत आती है, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के दायरे में नहीं आती है।

21. 2006 की अधिसूचना का पैरा 2 इस प्रकार हैः

" 2. पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ई. सी.) की आवश्यकताएँः - निम्नलिखित परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होगी, जो एन. जी. ए. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसके बाद मंत्रालय में केंद्र सरकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा

श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए पर्यावरण और वन

' अनुसूची में 'क' और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रभाव

श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.)

' बी 'उक्त अनुसूची में, किसी भी निर्माण कार्य से पहले, या

संबंधित क्षेत्र, अर्थात परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट सीमाओं से परे या ऐसी गतिविधियाँ जो अनुसूची में दी गई सीमा को पार करती हैं,

((iii) उत्पाद में कोई भी परिवर्तन-मौजूदा विनिर्माण इकाई में मिश्रण। निर्दिष्ट सीमा से परे अनुसूची में शामिल।

(जोर दिया गया)

2006 की अधिसूचना के पैरा 2 (1) में कहा गया है कि केवल परियोजनाएं

अनुसूची में पूर्व ई. सी. प्रदान किया जाना चाहिए। अनुसूची 2006 अधिसूचना का पैरा 7 (च), जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया हैः

के साथ श्रेणी

शर्तें, यदि

परियोजना या गतिविधि

सीमा सीमा

किसी भी

बी.

ए.

(5)

(2)

(3)

(1)

जनरल

I) नया राष्ट्रीय

I) नया राज्य

7 (च) राजमार्ग

राजमार्ग; और

शर्त होगी

राजमार्ग; और

आवेदन करें

(ii) इसका विस्तार

(ii) इसका विस्तार

नेशनल हाई

राष्ट्रीय/राज्य

बड़े राजमार्ग

रास्ते बड़े

30 किलोमीटर से अधिक,

30 किलोमीटर से अधिक

सम्मिलित करना

सम्मिलित करना

का अतिरिक्त अधिकार

अतिरिक्त

रास्ते का अधिकार

उससे बड़ा रास्ता

20 एम शामिल

से भी बड़ा

20 एम शामिल

भूमि अधिग्रहण।

भूमि अधिग्रहण

और गुजरते हुए

अधिक के माध्यम से

एक से अधिक राज्य

22. 2006 की अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित किया गया है कि परियोजनाएं

कॉलम 3 में एमओईएफ-सीसी से पूर्व ईसी दिया जाना चाहिए जबकि [2020] 5 एस. सी. आर.

कॉलम 4 में सूचीबद्ध परियोजनाओं को एस. ई. आई. ए. ए. से पूर्व ई. सी. प्रदान किया जाना चाहिए। लागू होने वाली सामान्य शर्तें अनुसूची के अंत में सूचीबद्ध हैं। 13 पैरा 7 (एफ) के कॉलम 3 में नए राष्ट्रीय राजमार्ग और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार शामिल है जबकि कॉलम 4 में नए राज्य राजमार्ग और मौजूदा राज्य राजमार्गों का विस्तार शामिल है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 या कर्नाटक राजमार्ग अधिनियम 1964 के तहत उन अधिनियमों के तहत पी. आर. आर. परियोजना को राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। पी. आर. आर. परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के संबंध में कर्नाटक सरकार के स्तर पर प्रारंभिक चर्चा हुई। 10 जनवरी 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने उक्त परियोजना को कर्नाटक सरकार को हस्तांतरित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

एनएचएआई "जैसा है वैसा ही" आधार पर है। हालाँकि, कर्नाटक सरकार ने 24 जून 2008 के अपने आदेश द्वारा पी. आर. आर. परियोजना को एन. एच. ए. आई. को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया।

23. हालाँकि इस मामले का एक और पहलू है जिस पर इस न्यायालय का ध्यान देना आवश्यक है। 2006 की अनुसूची का पैरा 7 (च)

2006 की अधिसूचना के लागू होने के बाद से अधिसूचना में संशोधन किया गया है।

24. 2006 की अधिसूचना जारी करने से पहले, 15 सितंबर 2005 को आधिकारिक राजपत्र में एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें कहा गया था कि

कि अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर एमओईएफ-सीसी को टिप्पणियां भेजी जा सकती हैं। मसौदा अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 7 (च) में लिखा हैः

13 " श्रेणी 'बी' में निर्दिष्ट किसी भी परियोजना या गतिविधि को श्रेणी ए के रूप में माना जाएगा, यदि यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से सीमा से 10 किमी के भीतर स्थित हैः (i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र, (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, (iii) अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, (iv) अंतर-राज्य सीमाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। 14 एनएचएआई 15 अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2007,1 दिसंबर 2009,4 अप्रैल 2011 और 22 अगस्त 2013।

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

शर्त

एस.

परियोजना या एन. आई. सी. कोड आई. एस. आई. सी.

श्रेणी

गतिविधि (2004)

नहीं।

कोड

आयन यदि

ए.

ए/बी बी

किसी भी

(च) सड़कें

सभी

सभी राज्य

जीसी-1

45203 *

नया

राष्ट्रीय

राजमार्ग

राजमार्ग

परियोजनाएँ>

=

राजमार्ग,

30

किलोमीटर की लंबाई

एक्सप्रेस

और

तरीके

बाइपास> =

30

किमी.

लंबाई

या

या

सभी

राज्

य

राजमार्ग

विस्तार

सभी राष्ट्रीय

परियोजनाएं

राजमार्ग,

एक्सप्रेस वे

विस्तार

परियोजनाएं

> = 30

किमी.

अतिरिक्त

रास्ते के अधिकार

> = - 30 किमी.

से भी ज़्यादा

लंबाई और

20 एम.

अतिरिक्त

रास्ते का अधिकार

से भी ज़्यादा

20 एम.

मसौदा अधिसूचना में, अनुसूची के पैरा 7 (च) में शामिल था -

श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के तहत 'एक्सप्रेसवे' शब्द। हालाँकि, 2006 की अंतिम अधिसूचना में, 'एक्सप्रेसवे' शब्द को हटा दिया गया था। मसौदा अधिसूचना के लागू होने से पहले उसे हटाने के लिए कोई निर्णायक कारण नहीं होने पर, इस तरह के हटाने का उपयोग 2006 की अधिसूचना या उसके बाद के संशोधनों की शर्तों का अर्थ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

25. उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (d) के साथ पढ़ा जाता है।

1 दिसम्बर 2009 अनुसूची के पैरा 7 (च) में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन

2006 अधिसूचना। संशोधन अधिसूचना के पैरा (xv) में लिखा हैः

" (xv) वस्तु 7 (च) के विरुद्ध, (क) कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि होगी -

प्रतिस्थापित किया गया अर्थात्ः

" (i) सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं; और

(ii) पहाड़ी इलाकों में राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं (1,000 से अधिक)

एम. एम. एस. एल.) और या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र "

(बी) मौजूदा प्रविष्टि के लिए कॉलम (5) में, निम्नलिखित प्रविष्टि होगी

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

" सामान्य शर्तें लागू होंगी। ध्यान दें: राजमार्गों में एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

2009 के संशोधन के बाद, अनुसूची के पैरा 7 (च) के कॉलम 5, जिसमें लिखा था "सामान्य शर्त लागू होगी", को यह निर्धारित करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था कि सामान्य शर्तों को लागू करने के अलावा, राजमार्गों में एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

26. संशोधन से पहले, 19 जनवरी 2009 को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें टिप्पणियों और आपत्तियों की मांग की गई थी। एमओईएफ

सी. सी. ने 3 जुलाई 2009 के अपने आदेश द्वारा अधिसूचना के मसौदे पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने, विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करने और अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए सिफारिशें करने के लिए अपर सचिव श्री जे. एम. मौस्कर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने संबंधित हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें कीं। एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने "अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट" शीर्षक से समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की। अक्टूबर, 2009 में ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 में मसौदा संशोधनों पर टिप्पणियों/सुझावों की जांच करने के लिए अपर सचिव श्री जे. एम. मौस्कर। समिति को अनुसूची के पैरा 7 (च) में प्रस्तावित संशोधन सहित मसौदा अधिसूचना के विभिन्न पहलुओं पर कई टिप्पणियां प्राप्त हुईं। प्रारंभिक मसौदा अधिसूचना में केवल पैरा 7 (एफ) के कॉलम 4 को संशोधित करने की मांग की गई थी।

हालाँकि, समिति द्वारा टिप्पणियां प्राप्त की गईं जिनमें कहा गया था कि एक्सप्रेसवे का विशिष्ट संदर्भ दिया जाना चाहिए। समिति ने निम्नलिखित शब्दों में अपना विश्लेषण तैयार किया:

" विश्लेषण: मुख्य सुझाव एक्सप्रेसवे, बाईपास, मेजर को शामिल करके अधिसूचना के दायरे के विस्तार से संबंधित है। जिला सड़कें, शहर की सीमा के भीतर सड़कों के लिए सुरंग, नगर निगम सीमा के आसपास परिधीय सड़कें। रास्ते के अधिकार सीमा को 20 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर करने का भी अनुरोध किया गया है। बी. आर. ओ. ने 50 किलोमीटर तक की अपनी परियोजनाओं को छूट देने की मांग की है। प्राप्त टिप्पणियों से यह माना जाता है कि

एक्सप्रेसवे राजमार्गों से अलग हैं।

तथापि, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए कि राजमार्ग एक्सप्रेसवे शामिल हैं। अन्य वस्तुओं के संबंध में ये हो सकते हैं -

अलग से विचार करें। वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में

रास्ते का अधिकार सीमा 20 मीटर से 60 मीटर तक, यह नहीं हो सकता है

स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल होंगे और

पुनर्वास के मुद्दे "।

(जोर दिया गया)

27. समिति के विश्लेषण में दर्ज किया गया है कि मुख्य

अधिसूचना के दायरे के विस्तार के लिए इसके दायरे में एक्सप्रेसवे, बाईपास, प्रमुख जिला सड़कें, शहर की सीमा के भीतर सड़कों के लिए सुरंग और आसपास की सड़कों को शामिल करने से संबंधित सुझाव।

नगर निगम सीमाएँ। महत्वपूर्ण रूप से, समिति ने इस धारणा पर ध्यान दिया कि राजमार्ग और एक्सप्रेसवे एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि 2006 की अधिसूचना के दायरे में विस्तार की मांग की गई थी, समिति ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि 'राजमार्ग' शब्द में 'एक्सप्रेसवे' शामिल है। अन्य मदों के लिए, समिति ने कहा कि उन पर अलग से विचार किया जा सकता है। द.

राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए जारी स्पष्टीकरण 2006 की अधिसूचना के दायरे में विस्तार के बराबर नहीं था, बल्कि केवल यह स्पष्ट किया गया था कि राजमार्ग शब्द में हमेशा एक्सप्रेसवे शामिल थे।

28. जहाँ कोई संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का होता है,

इसके अनुप्रयोग में संशोधन को पूर्वव्यापी माना जाता है। भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. आर. रामकृष्णन "में, दो न्यायाधीशों के समक्ष प्रश्न इस न्यायालय की पीठ ने चिंता व्यक्त की कि क्या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14, जो एक दिवाला याचिका को स्वीकार करने पर उल्लिखित सीमित अवधि के लिए स्थगन का प्रावधान करती है, एक निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर पर लागू होगी। के निर्णय में

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जो अपील के तहत था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक समाधान योजना के रूप में व्यक्तिगत गारंटरों को धारा 31 के तहत बाध्य करता है, धारा 14 के तहत स्थगन व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू होगा। इस पर जोर देते हुए, अपीलार्थी ने दिवाला पर भरोसा किया

समिति कानून की कार्यवाही यह तर्क देने के लिए कि धारा 14 में एक संशोधन जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि स्थगन एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक मुचलके पर लागू नहीं होगा, स्पष्ट प्रकृति का था और यह कि व्यक्तिगत गारंटरों का उद्देश्य हमेशा इस प्रावधान से बाहर आना था।

अधिस्थगन का संचालन। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

" 31. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त दिवाला विधि समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26-3-2018 द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें कीं, जिनमें से एक थीः

" ((iv) निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के साथ-साथ अधिस्थगन के व्यवहार के बारे में भ्रम को दूर करना।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर, एक स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करने की सिफारिश की गई है कि ऐसी सभी परिसंपत्तियां

निगमित देनदार के लिए गारंटर दायरे से बाहर होंगे।

संहिता के तहत लगाए गए स्थगन का; "(जोर)

आपूर्ति की गई)

.....

समिति ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 14 का इरादा कॉर्पोरेट देनदार के ऋणों के लिए गारंटरों की परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने का नहीं है और सिफारिश की कि इसे स्पष्ट करने के लिए संहिता की धारा 14 में एक स्पष्टीकरण डाला जा सकता है। अधिस्थगन का दायरा परिसंपत्तियों तक सीमित हो सकता है

केवल निगमित ऋणी "।

33. उक्त समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना और उस पर विराम लगाना था जिसे समिति ने धारा की व्यापक व्याख्या माना था।

14. "

अदालत ने नोट किया कि समिति ने स्पष्ट किया कि यह कभी भी इरादा नहीं था कि धारा 14 के तहत स्थगन व्यक्तिगत मामलों पर लागू होता है

निगमित देनदारियों के गारंटर। तदनुसार, एक संशोधन लागू किया गया था

धारा 14 के लिए। इसके बाद न्यायालय ने इस न्यायालय के सुसंगत उदाहरण पर भरोसा करते हुए कहा कि एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग होता है। इसी तरह की स्थिति की व्याख्या जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक कार्य प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन में की है। वह कहता हैः

“ ..... एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से स्पष्टीकरणात्मक हो सकता है जो पहले से ही निहित था। इस प्रकार के स्पष्टीकरणात्मक

संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इसलिए, जब संशोधन लागू हुआ तो मूल अधिनियम में मौजूदा कानून था, संशोधन अधिनियम भी मौजूदा कानून का हिस्सा होगा। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण V.

एमआर। सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

29. एक संशोधनकारी प्रावधान जो कानून की स्थिति को स्पष्ट करता है जिसे अंतर्निहित माना जाता था, उसका पूर्वव्यापी प्रभाव माना जाता है।

अधिसूचनाओं में स्पष्टीकरणात्मक संशोधनों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग की स्थिति वैधानिक अधिनियमों के तहत स्थिति के अनुरूप है। वर्तमान मामले में, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा नियुक्त समिति ने स्पष्ट किया कि राजमार्ग शब्द में एक्सप्रेसवे शामिल हैं और सुझाव दिया कि इस आशय का एक उपयुक्त संशोधन जारी किया जाए। रिपोर्ट के आधार पर

समिति, पैरा 7 (एफ) के कॉलम 5 में एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन जारी किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजमार्गों में एक्सप्रेसवे शामिल हैं। यह स्थिति होने के कारण, इस न्यायालय को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या पी. आर. आर. परियोजना अनुच्छेद 7 (एफ) के दायरे में आने वाले एक्सप्रेसवे के रूप में योग्य है।

अनुसूची.

30. न तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और न ही कर्नाटक राजमार्ग अधिनियम 1964 ने 'राजमार्ग' शब्द को परिभाषित किया है। 2006 की अधिसूचना में 2009 का संशोधन 'एक्सप्रेसवे' शब्द की परिभाषा पर चुप है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एक्सप्रेसवे के लिए विनिर्देशों और मानकों की नियमावली में भारतीय सड़क कांग्रेस 1 7 द्वारा दी गई परिभाषा शिक्षाप्रद है।

31. आई. आर. सी. की स्थापना 1934 में भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिश पर की गई थी। देश में सड़कों के विकास के लिए भारत। एक्सप्रेसवे के लिए विशिष्टताओं और मानकों की नियमावली तैयार करने के लिए 2013 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। उसी वर्ष जारी की गई रिपोर्ट में एक एक्सप्रेसवे को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया थाः

" ..... इस उद्देश्य के लिए, एक्सप्रेसवे को मोटर चालित यातायात के लिए एक धमनी राजमार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उच्च गति की यात्रा के लिए विभाजित कैरिजवे हैं, जिसमें पहुंच का पूर्ण नियंत्रण है और चौराहों के स्थान पर ग्रेड सेपरेटर प्रदान किए गए हैं। आम तौर पर, केवल तेजी से चलने वाला

एक्सप्रेसवे पर वाहनों को जाने की अनुमति है।

एक एक्सप्रेसवे को एक धमनी राजमार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे यातायात को कम करने और आम तौर पर पहुंच के नियंत्रण को शामिल करने के उद्देश्य से उच्च गति की यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया है। अन्य संकेतकों में टोल बूथ, विभाजित कैरिजवे और ग्रेड सेपरेटर का प्रावधान है।

चौराहों। एक सड़क परियोजना एक एक्सप्रेसवे है या नहीं इसका आकलन

मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाना है।

32. वर्तमान मामले में, पी. आर. आर. परियोजना का घोषित उद्देश्य है -

2) इंटरसिटी कनेक्टिविटी और इंटरसिटी ट्रैफिक को पूरा करने के लिए; 3) शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए

4) भारी वाहनों यानी लॉरी और ट्रकों की आवाजाही को कम करने के लिए

5) बाहरी रिंग रोड पर यातायात को कम करने के लिए "।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत संक्षिप्त टिप्पणी में कहा गया है किः

" ..... बी. डी. ए. द्वारा लागू किया जाने वाला प्रस्तावित पी. आर. आर. 8 लेन का है।

बैंगलोर शहर के आसपास विभाजित सड़क मुख्य रूप से आसान है।

शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़भाड़। प्रस्तावित

क्रॉस-सेक्शन में प्रत्येक यातायात दिशा में 4 लेन की मुख्य सड़क होती है।

और स्थानीय लोगों के लिए मुख्य सड़क के दोनों ओर 3 लेन की सेवा सड़क

यातायात। मुख्य सड़क और सर्विस रोड को अलग किया जाएगा

अभिगम-नियंत्रित सुविधा। इंजीनियरिंग डिजाइन होंगे भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार किया गया

मानक "।

(जोर दिया गया)

पी. आर. आर. परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वाहनों की आवाजाही को आसान बनाना है।

शहर में स्थिति। मुख्य सड़क और सर्विस रोड को पहुंच-नियंत्रित सुविधाओं से जोड़ा जाना है। इंजीनियरिंग डिजाइनों को आई. आर. सी. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा तैयार ई. आई. ए. रिपोर्ट में पी. आर. आर. परियोजना का वर्णन किया गया है

नीचे दिए गए शब्दः

यातायात, यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, प्रदूषण की तीव्रता और यात्रा का समय "।

राजमार्ग डिजाइन

प्रस्तावित परिधीय रिंग रोड (पी. आर. आर.) संरेखण को जहां भी संभव हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए तैयार किया गया है।

एन. जी. ए. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दृष्टिकोण। एएएसएचटीओ और आईआरसी में दिए गए दिशानिर्देशों और योजनाओं पर विचार करने के बाद परिधीय रिंग रोड (पीआरआर) के निर्माण के दौरान चौराहों को डिजाइन किया गया है: 92 दिशानिर्देश। .....

टोल प्लाजा

..... सड़क के टोल प्लाजा खंड से गुजरने वाले सभी यातायात को टोल देना होगा। सार्वजनिक बस परिवहन को टोल का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सुलभता

परिधीय रिंग रोड (पी. आर. आर.) को एक टोल रोड के रूप में माना जाता है। सड़क प्रणाली को टोल करने के लिए टोल बूथों के लिए प्रावधान किए गए हैं। परिधीय रिंग रोड (पी. आर. आर.) तक पहुंच प्रतिबंधित है। निम्नलिखित श्रेणियों की सड़कें

राष्ट्रीय राजमार्ग;

राज्य राजमार्ग;

प्रमुख जिला सड़कें।

75 मीटर के रास्ते के अधिकार के साथ यह परियोजना श्रेणी में आती है। " बी "ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में और आवश्यक है

एस. ई. आई. ए. ए. से पर्यावरण मंजूरी "

(जोर दिया गया)

33. पीआरआर परियोजना के 8 लेन का मुख्य कैरिजवे होने की उम्मीद है।

मार्ग (4 + 4 द्वि-दिशात्मक), 6 लेन सड़क सेवा सड़क (3 + [2020] 5 एस. सी. आर.) के साथ।

3 द्वि-दिशात्मक) जिसका मार्ग का अधिकार 75 मीटर और कुल लंबाई 63 कि. मी. है। ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि पी. आर. आर. परियोजना थी

शहर में भीड़भाड़ को कम करने और इंटरसिटी कनेक्टिविटी और इंटरसिटी ट्रैफिक को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य के साथ अवधारणा की गई। यह कहा गया था कि इससे प्रदूषण की तीव्रता और यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। ई. आई. ए. रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि परियोजना को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले वाहनों के साथ उच्च गति वाले वाहनों के यातायात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां संभव हो, और अन्य स्थानों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले वाहन।

34. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना में दस इंटरचेंज और सोलह टोल बूथ भी शामिल हैं। यह कहा गया है कि सड़क तक पहुँच केवल राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख राजमार्गों तक ही सीमित है। जिला सड़कें। मामले के इस दृष्टिकोण में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पी. आर. आर. परियोजना एक एक्सप्रेसवे है जो अनुच्छेद 7 (एफ) के दायरे में आता है।

2006 की अधिसूचना की अनुसूची। पी. आर. आर. परियोजना 29 जून 2007 को बी. डी. ए. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना जारी होने पर शुरू हुई। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पी. आर. आर. परियोजना एक एक्सप्रेसवे है, परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपीलार्थी 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के पैरा 7 (च) के तहत परियोजना को लागू करने के लिए पूर्व निर्वाचन आयोग की मांग करने के लिए बाध्य था।

एफ ई. आई. ए. के तहत प्रक्रिया का अनुपालन

अधिसूचना 2006

35. विश्लेषण किए जाने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई ई. आई. ए. प्रक्रिया 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में थी। इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों और प्रत्युत्तर में, यह तर्क दिया गया था कि एस. ई. ए. सी. को ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने तक की ई. आई. ए. प्रक्रिया 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में थी। यह तर्क दिया गया कि एन. जी. टी. ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने और पी. आर. आर. परियोजना को दिए गए ई. सी. के संचालन को निलंबित करने में काफी देरी हुई। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, यह तर्क दिया गया था कि ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में देरी एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा 22 मार्च 2010 को जारी ओ. एम. का उल्लंघन थी, जिसमें टी. ओ. आर. के लिए चार साल की वैधता अवधि निर्धारित की गई थी।

जिन्हें जारी किया जाता है। प्रतिद्वंद्वी दलीलों का आकलन करने में, अपीलार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली ई. आई. ए. प्रक्रिया का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे ई. सी. का अनुदान मिल जाता है।

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

36. 10 सितंबर 2009 को, अपीलार्थी ने एस. ई. ए. सी. के साथ एक आवेदन दायर किया जिसमें श्रेणी 'बी' के रूप में पी. आर. आर. परियोजना के लिए एक पूर्व ईसी की मांग की गई थी।

2006 की अधिसूचना के तहत परियोजना। 2006 की अधिसूचना के अनुसार, एस. ई. ए. सी. ने 21 नवंबर 2009 को आयोजित अपनी 46 वीं बैठक में पी. आर. आर. परियोजना के लिए टी. ओ. आर. तैयार किया और जारी किया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को ई. आई. ए. प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता थी। अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट नवंबर 2014 में एस. ई. ए. सी. और एस. ई. आई. ए. ए. के समक्ष रखी गई थी। एस. ई. ए. सी. ने 5 अप्रैल 2013,9 जून 2014, अगस्त 2014 और नवंबर 2014 को बैठकें आयोजित कीं। नवंबर के बीच अपनी अंतिम बैठक में, एस. ई. ए. सी. ने एस. ई. आई. ए. ए. को पी. आर. आर. परियोजना के लिए एक ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की। ई. सी. 20 नवंबर 2014 को दिया गया था।

37. एस. ई. ए. सी. ने 5 अप्रैल 2013 को अपनी 101 वीं बैठक में एस. ई. आई. ए. ए. को टी. ओ. आर. के बाद से परियोजना फाइल को बंद करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

बैठक से दो साल पहले जारी किए गए थे और अपीलार्थी द्वारा ई. आई. ए. प्रक्रिया पर किसी भी प्रगति का संकेत देने वाला कोई पत्राचार नहीं था। एस. ई. ए. सी. के पत्र पर कार्रवाई करते हुए, एस. ई. आई. ए. ए. ने अपने 66 वें कार्यकाल में 17 मई 2013 की बैठक में पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान से संबंधित फाइल को बंद कर दिया गया और 25 जुलाई 2013 को अपीलार्थी को अपने निर्णय से अवगत कराया गया। 24 अगस्त 2013 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने एस. ई. आई. ए. ए. से फाइल को फिर से खोलने का अनुरोध किया। एस. ई. आई. ए. ए. ने अपनी 71 वीं बैठक में

3 सितंबर 2013 में आवश्यक प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान के अधीन फाइल को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। 6 फरवरी 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। एस. ई. ए. सी. ने 9 जून 2014 को अपनी 111 वीं बैठक में अपीलार्थी के प्रस्ताव पर विचार को ई. आई. ए. रिपोर्ट के रूप में स्थगित करने का निर्णय लिया।

समिति के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। 2 अगस्त 2014 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने एस. ई. ए. सी. के समक्ष ई. आई. ए. रिपोर्ट रखी, जिसे फरवरी में सार्वजनिक सुनवाई के बाद तैयार किया गया था। 2014. एस. ई. ए. सी. ने अगस्त 2014 की अपनी 115 वीं बैठक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कई कमियों को नोट किया और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया जिसे 28 अगस्त 2014 को अपीलार्थी को सूचित किया गया था।

38. अपीलार्थी ने एस. ई. ए. सी. को भूजल, सतही जल और मिट्टी पर अतिरिक्त नमूनों के साथ मांगी गई जानकारी का एक बिंदुवार जवाब दिया। अपीलार्थी द्वारा अक्टूबर 2014 में एक अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार की गई थी और एस. ई. ए. सी. को प्रस्तुत की गई थी। 11 और 18 नवंबर 2014 के बीच अपनी 121 वीं बैठक में, एस. ई. ए. सी. ने एस. ई. आई. ए. ए. को पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की। एस. ई. आई. ए. ए. ने 20 नवंबर 2014 को चुनाव आयोग जारी किया।

एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, एक व्यापक टी. ओ. आर. की तैयारी के लिए। इसके बाद, परियोजना प्रस्तावक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए एक सारांश ई. आई. ए. तैयार करता है। सारांश ई. आई. ए. है टिप्पणियों और आपत्तियों, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर और आपत्तियों को संबोधित करने के बाद

एक अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार की जाती है और संबंधित नियामक प्राधिकरण को भेजी जाती है। इस स्तर पर, नियामक प्राधिकरण को "टीओआर के संदर्भ में सख्ती से" दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएसी या एसईएसी को किसी भी अपर्याप्तता के बारे में सूचित करना चाहिए। सभी दस्तावेजों की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, परिशिष्ट 5 में निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगा। मूल्यांकन चरण में ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. द्वारा EC.The ई. ए. सी. के अनुदान के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच शामिल है और एस. ई. ए. सी. पर ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए जारी किए गए टी. ओ. आर. के संदर्भ में फॉर्म 1/फॉर्म 1 ए में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का मूल्यांकन करने का आरोप है। 40. महत्वपूर्ण रूप से, ईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया फॉर्म 1/फॉर्म 1 ए में निर्धारित जानकारी के उत्पादन से शुरू होती है।

प्रपत्र 1 में प्रस्तुत की गई जानकारी जानकारी जमा करने के प्रासंगिक समय पर "जैसा है" के आधार पर डेटा और जानकारी पर निर्भर करती है। सामग्री

प्रस्तावित परियोजना के विवरण के साथ-साथ पर्यावरण पर संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. को एक व्यापक टी. ओ. आर. तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए मांगी जाती है, जिसके आधार पर आवेदक ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। फॉर्म 1 में दी गई जानकारी के अनुसार

पुराने टीओआर के आधार पर देर से तैयार किए गए, एक अधिसूचना जारी की गई 22 मार्च 2010 को टीओआर की वैधता के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई जिसमें इस प्रकार कहा गया थाः

एन. जी. ए. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण V. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" कार्यालय ज्ञापन

उपः पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विस्तृत ई. आई. ए. अध्ययन करने के लिए ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत निर्धारित संदर्भ की शर्तों (टी. ओ. आर. एस.) की वैधता के लिए समय सीमा-संबंधित।

ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 ने वैधता के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है।

किसी परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी। लेकिन समय नहीं है।

सीमा विशेष रूप से ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत प्रदान की गई है

विस्तृत ई. आई. ए. अध्ययन करने के लिए निर्धारित टी. ओ. आर.। ए के रूप में

नतीजतन, एक बार निर्धारित होने के बाद टी. ओ. आर. वैध बने रहेंगे।

अनिश्चित काल के लिए, जो निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है क्योंकि टी. ओ. आर. एस. बहुत अधिक स्थल विशिष्ट होते हैं और कुछ के लिए गतिशील होते हैं।

स्थल की विशेषताओं, इसके भूमि उपयोग और सीमा के आधार पर

इसके आसपास विकास की प्रकृति। मामला यह है कि

पर्यावरण और वन मंत्रालय में माना जाता है।

यह निर्णय लिया गया है कि 1.4.2010 से, निर्धारित टीओआर ई. आई. ए./ई. एम. पी. जमा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

रिपोर्ट, सार्वजनिक परामर्श के बाद जहां आवश्यक हो। इस अवधि में

उचित औचित्य के आधार पर इसे तीसरे वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

और ई. ए. सी./एस. ई. ए. सी. का अनुमोदन, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार एक

की वैधता के लिए तीन साल की बाहरी सीमा निर्धारित की गई है

1.4.2010 से प्रभावी TORs।

प्रस्तावों के मामले में जिन्हें पहले टी. ओ. आर. दिया गया है इस ओ. एम. के मुद्दे पर, ई. आई. ए./ई. एम. पी. रिपोर्ट होनी चाहिए

प्रस्तुत किया गया, सार्वजनिक परामर्श के बाद जहां आवश्यक हो, नहीं

बाद में टी. ओ. आर. एस. के अनुदान की तारीख से चार साल,

प्राथमिक डेटा तीन साल पुराना नहीं है।

(जोर दिया गया)

41. एमओईएफ-सीसी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से अवांछनीय था

शुरुआत में एक टीओआर जारी रखें। पर्यावरण अपनी प्रकृति से ही है,

माइक। मृदा की गुणवत्ता, वायु की विशेषताएँ और आसपास की वनस्पतियाँ और जीव पर्यावरण की विशेषताओं को दर्शाते हैं जो लगातार बनी रहती हैं।

प्रवाह की स्थिति। पर्यावरण शासन का एक मजबूत ढांचा

पर्यावरण की गतिशील प्रकृति के लिए। यही कारण है कि

रोजेक्ट प्रस्तावकों को एक [2020] 5 एस. सी. आर. जमा करना सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहाँ पर्यावरण की स्थिति में भारी बदलाव आया है, फिर भी ई. आई. ए. प्रक्रिया पुरानी जानकारी के आधार पर की जाती है। इस कारण से, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने टी. ओ. आर. एस. के लिए दो साल की वैधता अवधि निर्धारित की, जिसे ई. ए. सी. या सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। एस. ई. ए. सी. केवल एक और वर्ष के लिए। इसके अलावा, विस्तार केवल तभी दिया जाना है जब परियोजना प्रस्तावक लिखित रूप में पर्याप्त औचित्य प्रदान करता है। वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक, 22 मार्च 2010 की अधिसूचना में कहा गया है कि जहां ओ. एम. जारी करने से पहले टी. ओ. आर. दिए गए थे, ई. आई. ए. रिपोर्ट उस तारीख से चार साल के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जिस दिन टी. ओ. आर. जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक डेटा तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए।

42. 22 अगस्त 2014 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी.

2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित टीओआर की वैधता को निम्नलिखित शर्तों में स्पष्ट किया गया है:

" ..... 2 (iv) टी. ओ. आर. की वैधता का बाहरी सीमा से परे विस्तार सभी परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए तीन साल और नदी के लिए चार साल

घाटी और एच. ई. पी. परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा

विनियामक प्राधिकरण। ऐसे मामलों में, परियोजना प्रस्तावक

प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा और नए टीओआर प्राप्त करने होंगे यदि प्रस्तावक अभी भी आगे बढ़ने में रुचि रखता है

परियोजना के लिए मंजूरी। पुरानी आधारभूत जानकारी का पुनः उपयोग (बशर्ते कि यह 3 वर्ष से अधिक पुराना न हो)

ताजा ई. आई. ए. और ई. एम. पी. रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया जाएगा। ई. ए. सी./एस. ई. ए. सी. द्वारा उचित परिश्रम के अधीन जो कर सकता है

आवश्यकता सहित उपयुक्त अनुशंसाएँ

पुनर्मूल्यांकन। 3 साल से पुराने बेसलाइन डेटा का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ई. आई. ए./ई. एम. पी. रिपोर्ट तैयार करने के लिए। किसी भी मामले में, पीएच होगा ऐसे मामलों में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने स्पष्ट किया कि जहां समय अवधि निर्धारित की गई है

प्रपत्र 1 में नई जानकारी जमा करना और एक नए प्रिस्क्रिप्शन का उपयोग करना टी. ओ. आर. ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करता है। ई. आई. ए. प्रक्रिया को नए सिरे से संचालित करने का असाधारण निर्देश बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पर्यावरण शासन की एक रूपरेखा के प्रति प्रतिबद्धता जो

पर्यावरण की गतिशील प्रकृति के लिए जिम्मेदार है।

43. 7 नवंबर 2014 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, एम. ओ. ई. एफ.

सी. सी. ने टी. ओ. आर. के लिए निर्धारित समय सीमा के साथ-साथ एस. ई. ए. सी. द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जो तीन साल से अधिक पुराने प्राथमिक आंकड़ों पर निर्भर थी। अधिसूचना, जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

" 2. मंत्रालय में इस मामले की आगे जांच की गई है

मंजूरी सुधार के हिस्से के रूप में लिए गए निर्णय का प्रकाश और यह महसूस किया जाता है कि पर्यावरण की प्रक्रिया शुरू करना तर्कसंगत नहीं होगा

नए संदर्भ की शर्तें लेने सहित नए सिरे से मंजूरी

(टी. ओ. आर. एस.), यदि आधार रेखा डेटा तैयार करने के लिए एकत्र किया जाता है

ई. आई. ए./ई. एम. पी. रिपोर्ट और/या सार्वजनिक परामर्श इससे अधिक हैं।

(भाग) दिनांकित 22.08.2014 निम्नलिखित के साथः

" (v) (क) उन सभी परियोजनाओं की जिनकी सिफारिश सरकार ने की है।

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई. ए. सी.) द्वारा विचार किया जाएगा

सक्षम प्राधिकारी भले ही एकत्र किया गया डेटा अधिक हो गया हो

तीन साल से अधिक पुराना क्योंकि टीओआर में ही तीन होते थे वर्ष की वैधता और एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि मामले अभी भी ई. ए. सी. के समक्ष नहीं रखे गए हैं और इस बीच डेटा तीन साल से अधिक पुराना हो गया है,

ऊपर पैरा (ए) में दिए गए कारणों पर विचार किया जाए।

(जोर दिया गया)

इस अधिसूचना में निर्धारित किया गया था कि 'संबंधित प्राधिकारी'

ईसी के अनुदान के लिए ई. आई. ए. रिपोर्टों पर विचार करें, यहां तक कि जहां प्राथमिक डेटा पर भरोसा किया गया था, वह ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के तीन साल बाद भी एकत्र किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीओआर को तीन साल से आगे एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। इस प्रकार, जहां ई. आई. ए. रिपोर्ट टी. ओ. आर. की वैधता के लिए निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार की जाती है,

संबंधित प्राधिकरण एक ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार कर सकता है जो प्राथमिक डेटा पर निर्भर करती है जो तीन साल से अधिक समय पहले एकत्र किया गया था, यानी ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने से पहले चौथे वर्ष में। अधिसूचना का प्रभाव [2020] 5 एस. सी. आर. पर पड़ा।

टीओआर और एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा दोनों के लिए चार साल की एक समान वैधता अवधि निर्धारित करें। हालांकि, यह शर्त बरकरार रखी गई कि जहां टीओआर की अवधि समाप्त हो गई है, वहां एक नई ईआईए प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

44. वर्तमान मामले में टीओआर 21 नवंबर को जारी किया गया था

टी. ओ. आर. की समाप्ति के बाद तैयार की गई किसी भी ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार करने का दायित्व। सार्वजनिक सुनवाई केवल 6 फरवरी 2014 को देर से आयोजित की गई थी और उसके बाद तैयार की गई ई. आई. ए. रिपोर्ट को टी. ओ. आर. की अवधि समाप्त होने के लगभग एक साल बाद ही 2 अगस्त 2014 को एस. ई. ए. सी. के समक्ष रखा गया था। हम टी. ओ. आर. की वैधता के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हुए एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. का पालन करने में परियोजना प्रस्तावक की विफलता पर प्रकाश नहीं डाल सकते। एस. ई. ए. सी. का ई. आई. ए. रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ने के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक से अतिरिक्त जानकारी लेने का निर्णय टी. ओ. आर. की समाप्ति दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है और अस्थिर है।

45. इसके अलावा, प्राथमिक डेटा दिसंबर 2009 में एकत्र किया गया था और

फरवरी 2010। ई. आई. ए. रिपोर्ट फरवरी 2014 में सार्वजनिक सुनवाई के बाद तैयार की गई थी, एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. के संदर्भ में प्राथमिक डेटा समाप्त होने के लगभग एक साल बाद। अक्टूबर 2014 में तैयार की गई अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहा गया हैः

" 1.8 अध्ययन अवधि त्वरित पर्यावरण प्रभाव आकलन (आर. ई. आई. ए.) तैयार करना।

प्रस्तावित परियोजना के लिए रिपोर्ट, डेटा से एकत्र किया गया था अध्ययन क्षेत्र में दिसंबर से फरवरी (2009-2010)। माइक्रो

मौसम संबंधी मानकों को दर्ज किया गया जैसे हवा की गति,

घंटे के आधार पर हवा की दिशा और सापेक्ष आर्द्रता

अध्ययन अवधि "।

" 3.5 निगरानी अवधि

अध्ययन क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी डेटा एकत्र किया गया था

सर्दियों के महीने (दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2009)

2010) , हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान और सापेक्ष

कुल अध्ययन अवधि के लिए घंटे के आधार पर आर्द्रता दर्ज की गई थी।

(जोर दिया गया)

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

46. माना जा सकता है कि अगस्त और अक्टूबर 2014 में तैयार की गई ई. आई. ए. रिपोर्ट प्राथमिक आंकड़ों पर निर्भर थी जो दिसंबर 2009 और फरवरी 2010 के महीनों के बीच एकत्र किए गए थे। ई. आई. ए. रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी।

7 नवंबर 2014 के ओ. एम. के लागू होने तक, जिसके द्वारा एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों की वैधता को तीन साल की अवधि से बढ़ाकर चार साल कर दिया। भले ही इसके तहत लाभ अधिसूचना अपीलार्थी तक बढ़ा दी गई थी, टीओआर जारी करने की तारीख से चार साल की समाप्ति पर ताजा प्राथमिक डेटा एकत्र करना कर्तव्यबद्ध था यानी 21 नवंबर 2013। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया था। इस मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक समाप्त हो चुके टीओआर और प्राथमिक डेटा के आधार पर तैयार की गई अंतिम ईआईए रिपोर्ट में था

एमओईएफ-सीसी द्वारा जारी 22 मार्च 2010,22 अगस्त 2014 और 7 नवंबर 2014 के ओएमएस का उल्लंघन और वैध रूप से जारी ईसी का आधार नहीं बन सका।

47. यह भी ध्यान देने योग्य है कि मैसर्स रामकी एनविरो इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा सामाजिक आर्थिक अध्ययन के साथ एक त्वरित ई. आई. ए. तैयार किया गया था।

अपीलार्थी की ओर से पीआरआर परियोजना के लिए ई. आई. ए. सलाहकार

नवंबर 2010। ई. आई. ए. की यह रिपोर्ट दिसंबर 2009 और फरवरी 2010 के महीनों के बीच एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर निर्भर थी और पर्यावरण पर प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के प्रभाव का विश्लेषण किया। 2010 की त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट और अक्टूबर 2014 में तैयार की गई ई. आई. ए. रिपोर्ट दोनों के अवलोकन से पता चलता है कि 2014 की रिपोर्ट में पर्यावरण पर प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के प्रभाव के आंकड़ों के साथ-साथ विश्लेषण 2010 की त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि ई. आई. ए. सलाहकार ने रैपिड ई. आई. ए. रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया है जो था वर्ष 2010 में तैयार किया गया। अपीलार्थी द्वारा एमओईएफ-सीसी द्वारा जारी ओएम के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में डेटा का नया संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किया गया कि ई. आई. ए. प्रक्रिया को पूरा करने में पर्याप्त देरी हुई थी, प्रक्रिया को दूषित करना हमारी स्वीकृति के लिए स्वयं की सराहना करता है।

48. अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर प्रस्तुतियों के प्रत्युत्तर और संक्षिप्त नोट में, यह तर्क दिया गया था कि प्राथमिक डेटा के संग्रह में किसी भी देरी को एस. ई. ए. सी. द्वारा अपनी 115 वीं बैठक में उठाए गए प्रश्नों के जवाब में नए नमूनों के संग्रह से ठीक किया गया था।

अगस्त, 2014। जवाब में दिए गए प्राथमिक आंकड़ों को वर्ष 2014 का बताया गया, न कि 2010 का। इस विवाद का आकलन करने में, एस. ई. ए. सी. द्वारा अपीलार्थी को उठाए गए प्रश्नों का विज्ञापन करना आवश्यक है।

ग, ने अपनी 115 वीं बैठक में प्रस्तुत की गई जानकारी में कमियों का उल्लेख किया और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह 28 अगस्त 2014 को अपीलार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एस. ई. ए. सी. ने मांग की

निम्नलिखित पर क्षेत्रीय जानकारीः

1. राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ई. आई. ए. मान्यता प्राप्त सलाहकार उपस्थित नहीं थे।

2. ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में शामिल विशेषज्ञों की घोषणा रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर के सभी गांवों तक पहुंच अधिमानतः अंडरपास के माध्यम से होनी चाहिए।

4. रिपोर्ट में प्रस्तुत बोरवेल के पानी की कठोरता के आधारभूत आंकड़ों का गलत विश्लेषण किया गया है।

5. सतही जल विश्लेषण रिपोर्ट में गलत परिणाम पाए गए हैं।

6. एन. ए. बी. ई. टी. के अनुसार परीक्षण के लिए आवश्यक सभी मापदंड दिशानिर्देशों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. नमूनों के स्थानों को मानचित्र पर चिह्नित किया जाना है विंडरोज़ आरेख को अधिरोपित किया जाना है।

9. ई. एम. पी. को संशोधित किया जाना चाहिए और यह स्थल विशिष्ट होना चाहिए। 10. ई. आई. ए. रिपोर्ट में स्थान के विवरण के साथ संवेदनशील स्थान निगरानी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

11. ई. आई. ए. रिपोर्ट में वन भूमि की जानकारी के संबंध में रिपोर्ट में विरोधाभासी जानकारी है। 12. नमूने उगाने के लिए लगाए जाने वाले पेड़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए।

14. पृथ्वी का क्षेत्र उधार लेना ई. आई. ए. रिपोर्ट का हिस्सा होगा। 15. आपातकालीन राहत अभियान को शामिल किया जाएगा।

16. पृष्ठ संख्या 10 में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार। प्रस्तावित परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं है। इसलिए वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है "जबकि उसी प्रस्ताव पृष्ठ संख्या 21 में मोड़ने के लिए कुल वन भूमि जरकबंदे बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v में 1.5ha होने का अनुमान है।

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सी. एच. में कवल 12.000 " 12.500 तक। विरोधाभासी जानकारी

आदि, वे मैंग्रोव-उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं जो जूतों में उगते हैं। , वे समुद्री तटों (कुंडापुर तट में तटीय क्षेत्र) में स्थानिक हैं। आदि।

18. पी. पी. को सलाह दी जाती है कि वे सूक्ष्म जलवायु में सुधार के लिए प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर उपयुक्त देशी फल देने वाली छाया देने वाली और तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों (इस सलाहकार के बजाय) के साथ पट्टियों के वृक्षारोपण (क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर 1 से 2) पंक्तियों को डिजाइन करने के लिए बी. डी. ए. के तहत वन शाखा से परामर्श करें। समिति ऊपर मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और वापस बुलाने का निर्णय लेती है प्रस्ताव सूचना की प्राप्ति को बदल देता है।

12 नवंबर 2014 के अपने पत्र द्वारा, अपीलकर्ता ने एस. ई. ए. सी. को भूजल, सतही जल और मिट्टी पर अतिरिक्त नमूनों के साथ मांगी गई जानकारी का एक बिंदुवार जवाब प्रदान किया। 49. एस. ई. ए. सी. द्वारा तैयार किए गए प्रश्न और अपीलार्थी द्वारा दायर प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि एस. ई. ए. सी. को प्रस्तुत की गई ई. आई. ए. रिपोर्ट में गंभीर कमियां थीं। इसमें एएक्यू वायु विश्लेषण, मिट्टी की गुणवत्ता, वन भूमि और लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या पर पुराना डेटा शामिल था। एस. ई. ए. सी. ने कुछ कमियों का उल्लेख किया जो ई. आई. ए. रिपोर्ट के सीमित पहलुओं से संबंधित हैं जिनमें बोरवेल के पानी की कठोरता, मिट्टी विश्लेषण और वन भूमि के आधारभूत डेटा शामिल हैं। इसके अलावा, एस. ई. ए. सी. ने निर्देश दिया कि एकत्र किए गए कुछ नमूनों को ई. आई. ए. रिपोर्ट में एस. ई. ए. सी. को प्रस्तुत किए गए मानचित्र पर चिह्नित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, एस. ई. ए. सी. ने वन भूमि के अस्तित्व के प्रकटीकरण से संबंधित विसंगति को नोट किया। निर्णय के दौरान इस पहलू का पता लगाया जाएगा।

51. एस. ई. ए. सी. की ओर से प्रश्न के रूप में उठाए गए कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त ताजा डेटा प्रस्तुत करने से समाधान नहीं होता है यह सुनिश्चित करने का सामान्य दायित्व कि ई. आई. ए. रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर. के भीतर तैयार की गई थी।

टी. ओ. आर. जारी होने की तारीख से चार साल की अवधि,

प्राथमिक डेटा पर भरोसा करना जो चार साल से पुराना नहीं था। केवल इसलिए कि कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी जिसके लिए अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने और नए नमूनों के संग्रह की आवश्यकता थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की कवायद एमओईएफ-सीसी द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाहर ईआईए रिपोर्ट तैयार करने से उत्पन्न दोष को ठीक करती है। महत्वपूर्ण रूप से, प्रासंगिक समय पर भी जब परियोजना प्रस्तावक से जानकारी मांगी गई थी, टीओआर के साथ-साथ प्राथमिक डेटा जिस पर ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई थी, दोनों उनकी वैधता की अवधि से परे थे। ऐसे मामले में, एस. ई. ए. सी. ने अतिरिक्त जानकारी मांगकर, 2006 की अधिसूचना के तहत उसे दी गई शक्ति से आगे निकल गया है।

52. एस. ई. ए. सी. ने एस. ई. आई. ए. ए. को अनुदान की सिफारिश की

एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. के तहत निर्धारित दायित्वों के उल्लंघन में पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. उल्लेखनीय है कि एस. ई. ए. सी. ने 11 वीं के बीच अपनी 121 वीं बैठक में ही अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार किया।

-

टीओआर और प्राथमिक डेटा की निर्धारित वैधता। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के बावजूद एस. ई. ए. सी. ने एस. ई. आई. ए. ए. को ई. सी. के अनुदान की सिफारिश करने में स्पष्ट रूप से गलती की है। ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करना।

जी. 1 ई. आई. ए. सलाहकार का प्रत्यायन

53. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों में, यह था

तर्क दिया कि ई. आई. ए. प्रक्रिया अपीलार्थी की ओर से मैसर्स रामकी एनविरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी। लिमिटेड, एक गैर-मान्यता प्राप्त ई. आई. ए. सलाहकार है। यह, यह प्रस्तुत किया गया था, एमओईएफ-सीसी द्वारा 2 दिसंबर 2009 को जारी ओ. एम. का उल्लंघन था जिसमें अनिवार्य किया गया था कि ई. आई. ए. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केवल क्षेत्र विशिष्ट मान्यता प्राप्त ई. आई. ए. सलाहकारों को लगाया जाना चाहिए।

54. एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने 2 दिसंबर 2009 की अपनी अधिसूचना द्वारा,

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के प्रत्यायन और पंजीकरण की योजना के तहत ई. आई. ए. सलाहकारों का पंजीकरण अनिवार्य।

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण/गुणवत्ता परिषद। अधिसूचना के प्रासंगिक भाग में लिखा हैः

" ..... मंत्रालय में यह महसूस किया गया है कि ई. आई. ए. रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि सलाहकार आम तौर पर कई क्षेत्रों में ई. आई. ए./ई. एम. पी. रिपोर्ट तैयार करते हैं और कुछ मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और नमूनों, योग्य कर्मचारियों आदि के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं जैसी सहायक सुविधाओं के बिना। बेहतर निर्णय लेने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ई. आई. ए. रिपोर्ट पूर्व-आवश्यक हैं। 3. सलाहकारों की मान्यता से संबंधित जारी किए गए निर्णयों पर विस्तृत विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैंः

ई. आई. ए. दस्तावेज़ में अधिक विशिष्टता लाने के लिए सलाहकार केवल मान्यता प्राप्त क्षेत्रों और मापदंडों तक ही सीमित रहेगा। 4. उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यह तय किया गया है कि कोई ई. आई. ए./ई. एम. पी. नहीं है।

ऐसे सलाहकारों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जो पंजीकृत नहीं हैं एनएबीईटी/क्यूसीआई के साथ मंत्रालय द्वारा 30 तारीख के बाद विचार किया जाएगा।

जून, 2010 "।

(जोर दिया गया)

55. एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने निर्धारित किया कि यह प्रत्येक के लिए अनिवार्य है।

सलाहकार या ई. आई. ए. सलाहकार के रूप में कार्य करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

एनएबीईटी/क्यूसीआई की मान्यता योजना के तहत पंजीकृत। इसके अलावा, एक सलाहकार उस क्षेत्र तक सीमित होगा जिसके लिए वे ई. आई. ए. प्रक्रिया को पूरा करने में विशेषज्ञता और विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त करते हैं। यह सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी था जैसे प्रयोगशालाएँ। यह कहा गया था कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली ई. आई. ए. रिपोर्ट बेहतर निर्णय लेने के लिए एक पूर्व शर्त है। इस न्यायालय के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि मैसर्स रामकी एनविरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को नवंबर 2009 में [2020] 5 एस. सी. आर. से पहले टी. ओ. आर. जारी करने पर काम पर रखा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करना। चाहे जो भी हो, रामकी एनविरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, हैदराबाद को 'सलाहकार' का दर्जा दिया गया था। एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा 30 जून 2011 को जारी ओ. एम. के माध्यम से मान्यता। ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के समय जो एस. ई. ए. सी. को प्रस्तुत की गई थी, ई. आई. ए. सलाहकार को मान्यता प्राप्त हुई थी। तथापि, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने 22 नवंबर 2013 को आयोजित पुनः प्रत्यायन के लिए चौथी प्रत्यायन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति भी अभिलेख पर रखी है। रामकी एनविरो इंजीनियर्स प्राइवेट का मामला। लिमिटेड, हैदराबाद को निम्नलिखित शर्तों में माना गया थाः

रामकी एनविरो इंजीनियर्स के मामले पर पहले चर्चा की गई थी आर. ए. ए. सी. की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2013 को हुई। सम्मान के साथ कमियां

क) विशेषज्ञों/व्यक्तियों की सूची में उम्मीदवार के नामों में भिन्नता

ई. आई. ए. में शामिल बी) क्यू. एम. एस. का कार्यान्वयन और सी) ई. आई. ए. की गुणवत्ता

देखा गया। रामकीएनविरो को कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा गया था प्रत्यायन समिति (एसी) की कमियों के लिए

.....

पुनः प्रत्यायन (आर. ए.) मूल्यांकन के परिणाम नीचे दिए गए हैंः रामकी एनविरो इंजीनियर्स ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

तथापि, ई. आई. ए. की पूर्णता और गुणवत्ता के संबंध में, 60 प्रतिशत से कम अंक सुधार की गुंजाइश दर्शाते हैं।

प्रासंगिक खंड में नीचे उल्लिखित बिंदु।

2.1. 1 मान्यता का दायरा

$ 1 . सेक्टर नं. एन. ए. बी. ई. टी. के रूप में सेक्टर का नाम

बिल्ली।

नहीं। योजना

खनन

ए.

ताप विद्युत संयंत्र

ए.

पेट्रोकेमिकल आधारित प्रसंस्करण

ए.

सिंथेटिक कार्बनिक प्रसंस्करण

ए.

औद्योगिक संपदा/उद्यान/एस. ई. जेड.

ए.

टीएसडीएफ

ए.

भवन और बड़ा निर्माण

ए.

क्षेत्र और टाउनशिप परियोजनाएं

एक बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

56. समिति ने प्रदर्शन में कमियों को नोट किया

मेसर्स रामकी एनविरो इंजीनियर्स प्रा. लि. लिमिटेड ने ई. आई. ए. सलाहकार के रूप में सुधार की गुंजाइश का संकेत दिया। इसके बाद समिति उन क्षेत्रों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी जिनके लिए मैसर्स रामकी को मान्यता दी गई है। इसकी अनुपस्थिति में राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ई. आई. ए. सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता का अनुदान विशिष्ट है। जब पी. आर. आर. परियोजना के लिए अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट अगस्त/अक्टूबर 2014 में तैयार की गई थी, तो मैसर्स रामकी के पास मान्यता का अभाव था।

राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ई. आई. ए. सलाहकार के रूप में कार्य करना। इस पहलू को उन अंतिम निर्देशों को तय करते समय ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें यह न्यायालय जारी करना चाहता है।

जी. 2 वन भूमि

57. अनिवार्य रूप से, प्रतिवादियों की ओर से आग्रह किया गया तर्क

इस न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुतियों में यह है कि एक पेटेंट था और

प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के लिए वन भूमि के मोड़ का खुलासा करने में अपीलार्थी परियोजना प्रस्तावक की ओर से घोर विफलता। अपीलार्थी,

यह तर्क दिया गया था कि वन भूमि के मोड़ से संबंधित गुप्त सामग्री जानकारी और आवश्यक वन मंजूरी के अभाव में, पी. आर. आर. परियोजना के लिए दिया गया ई. सी. दूषित है।

58. पी. आर. आर. परियोजना के लिए तैयार की गई ई. आई. ए. रिपोर्ट के मसौदे में, यह था

कहा गयाः

" वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

..... प्रस्तावित परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं है। इसलिए, वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है "।

इस संकेत के बावजूद कि प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना में शामिल नहीं था

वन भूमि का मोड़, ई. आई. ए. रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया हैः

" ..... प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार, कुल वन भूमि को मोड़ दिया जाएगा

1. 5 हेक्टेयर होने का अनुमान है और इसकी श्रृंखला वार विवरण

समान रूप से प्रस्तुत किए जाते हैंः

तालिका 2.2 बी. वन क्षेत्र के विवरण को इसके लिए मोड़ने का प्रस्ताव है

प्रोजेक्ट रोड

सर्वेक्षण

सं।

का क्षेत्र

एस. एल. नहीं।

प्रस्तावित लंबाई

गाँव

जंगल।

चेनज (किमी)

वन होना चाहिए

में बदल दिया गया

एचए

1

Ch 12.000 763 M

जराकबांडेकावालु येलहंका 59

1.5

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. आई. ए. रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि डेढ़ हेक्टेयर वन भूमि में

जरकाबांडे कवलू को प्रस्तावित सड़क के कुल 763 मीटर के एक हिस्से के लिए संपर्क सीएच 12.000 और 12.500 के बीच मोड़ने का प्रस्ताव है। अक्टूबर में तैयार की गई अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट में भी इसी तरह का विरोधाभास देखा गया है। 2014 :

" राजमार्ग का प्रारंभिक हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्रों के साथ है। स्थल का दौरा और अधिकारियों के साथ चर्चा से यह अनुमान लगाया जाता है कि

कोई उल्लेखनीय आवास या जंगली या लुप्तप्राय जानवर नहीं हैं।

परियोजना सड़क के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास..

ई. आई. ए. रिपोर्ट कई स्थानों पर पुष्टि करती है कि डेढ़ हेक्टेयर

परियोजना के एक हिस्से से वन भूमि प्रभावित होगी। इसके बावजूद, ई. आई. ए. रिपोर्ट में आगे कहा गया हैः

एस. आई. निकासी का प्रकार

लागू करने योग्य परियोजना

रेस्पो

वैधानिक

एनसिबिली

नहीं।

प्राधिकरण

स्टेज

y

टीआई

पर्यावरणीय एस. ई. आई. ए. ए

1

इससे पहले

लागू होता है।

पूर्व

बीडीए

ए. आई. ए. के तहत मंजूरी

रचना

अधिसूचना, 2006

पर

नहीं।

2

वन मंजूरी के तहत

पूर्व

बीडीए

कर्नाटक

वन संरक्षण अधिनियम,

राज्य और

लागू होता है

निर्मा

ण

वन विभाग

आयन

1980

& एमओईएफ

59. ई. आई. ए. रिपोर्ट इस धारणा पर आगे बढ़ती है कि कोई वन नहीं है।

डेढ़ हेक्टेयर वन भूमि के मोड़ने के बावजूद निकासी की आवश्यकता है। अपीलार्थी द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्ट में या इस न्यायालय के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसे आवश्यक वन मंजूरी लेने से छूट क्यों दी गई थी। ई. आई. ए. रिपोर्ट में दिए गए वन क्षेत्र के नुकसान को दूर करने का एकमात्र संकेत इस प्रकार हैः

" 10.4 वनरोपण योजना

प्रभावित क्षेत्र-लगभग 1.5 हेक्टेयर।

वनरोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र-4.5 हेक्टेयर (प्रभावित क्षेत्र का तीन गुना)

क्षेत्र)

वनों के माध्यम से वनरोपण कार्यक्रम लागू किया जाएगा विभाग, बी. डी. ए. और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य वन विभाग के परामर्श से भूमि की पहचान की जाएगी।

बैंगलोर "। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र पर अपीलार्थी के विरोधाभासी रुख को एस. ई. ए. सी. ने अपनी 115 वीं बैठक दिनांक 1 अगस्त, 2014 में नोट किया था। एस. ई. ए. सी. ने मांग की

अपीलार्थी से कई आधारों पर अतिरिक्त जानकारी, जिनमें से एक वन क्षेत्र के संभावित नुकसान से संबंधित है। एस. ई. ए. सी. ने अपीलार्थी को लिखे अपने पत्र में अपीलार्थी के विरोधाभासी रुख का उल्लेख किया और कहाः

... ..16 . पृष्ठ संख्या 10 में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार। प्रस्तावित परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं है। इसलिए वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है "जबकि उसी प्रस्ताव पृष्ठ संख्या 21 में" मोड़ने के लिए कुल वन भूमि Ch में जरकबंदे कवल में 1.5ha होने का अनुमान है। 12.000 " 12.500 तक। विरोधाभासी

दस्तावेजों के साथ समझाई जाने वाली जानकारी।

अपीलार्थी ने ई. ए. सी. द्वारा उठाए गए प्रश्न का बिंदुवार उत्तर दिया। इसने वन भूमि से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहाः

" प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार कुल वन भूमि को मोड़ दिया जाना है

श्री में जरकबंदे कवल में डेढ़ हेक्टेयर होने का अनुमान है। 12.000 से

12.500 .

25 बी. डी. ए. के कब्जे में उपलब्ध एकड़ भूमि वन विभाग को 25 एकड़ वन भूमि (जरकबंदे कवल के सर्वेक्षण संख्या 59 में 12 वीं और 13 वीं किलोमीटर के बीच पी. आर. आर. श्रृंखला) के बदले में देने का प्रस्ताव है।

दिनांकित 17.03.2009.) पीआरआर की जरूरत है "।

अपीलार्थी ने पुष्टि की कि डेढ़ हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ने का प्रस्ताव है। यह कहा गया कि 25 एकड़ वन भूमि के बदले में आवश्यकता पड़ने पर, अपीलकर्ता वन विभाग को अपने पास उपलब्ध 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा।

60. हम वन भूमि के अस्तित्व का खुलासा करने में परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपीलार्थी के पेटेंट विरोधाभास पर प्रकाश नहीं डाल सकते हैं

पी. आर. आर. परियोजना के उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया गया। एक स्पष्ट संकेत के बावजूद कि कुल डेढ़ हेक्टेयर वन भूमि को इस उद्देश्य के लिए मोड़ दिया जाना है पी. आर. आर. परियोजना में, अपीलार्थी ने कार्योत्तर तरीके से आवश्यक मंजूरी लेने में अपनी विफलता को दूर करने की मांग करते हुए यह निर्धारित किया कि इसके साथ उपलब्ध 25 एकड़ भूमि वन विभाग को दी जानी है।

वन क्षेत्र को परियोजना के लिए मोड़ने का प्रस्ताव है। पर्यावरण शासन के क्षेत्र में उचित प्रक्रिया की विफलता से निपटने के लिए कार्योत्तर स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं। जबकि अपीलार्थी ने ई. ए. सी. को प्रस्तुत किया कि उसने पहले ही [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए वन विभाग की सहमति प्राप्त कर ली है।

प्रस्तावित वन भूमि को मोड़ते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में एक विरोधाभासी रुख अपनाया गयाः

" इसमें कहा गया है कि पी. आर. आर. 25 एकड़ जंगल से होकर गुजरता है।

इसके माध्यम से वन विभाग से 28.08.2018 पर अनुरोध किया गया था वन भूमि को अपीलार्थी को सौंपने के उद्देश्य से

पीआरआर परियोजना। इसके बाद वन विभाग ने जवाब दिया

12.01.2019 25 एकड़ की वैकल्पिक भूमि के लिए अनुरोध करना।

अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया था कि यह केवल 28 अगस्त 2018 को था

कि इसने वन विभाग से परियोजना में शामिल वन क्षेत्र को सौंपने का अनुरोध करके आवश्यक वन मंजूरी प्राप्त करने में अपनी विफलता को दूर करने की मांग की। अपीलार्थी, इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने प्रत्युत्तर में कहता हैः

" ..... यह स्वीकार किया जाता है कि पी. आर. आर. वास्तव में गुजरता है। जरकाबांडे कवलू वन क्षेत्र में वन भूमि। यह भी है

यहाँ यह इंगित करना उचित है कि अपीलार्थी ने भी लिया है

यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि 25 एकड़ भूमि भी वनरोपण योजना के लिए वैकल्पिक भूमि के रूप में प्रदान की गई

जरकाबांडे कवलू वन क्षेत्र में जंगलों को साफ किया जाना है

जैसा कि पी. जी. में दिखाया गया है। 238 आई. ए. से। सं. 53243। विरोधाभास

ई. आई. ए. रिपोर्ट में बाद में उल्लेख किया गया है

ई. ए. सी. और एस. ई. आई. ए. ए. के समक्ष संशोधित और स्पष्ट किया गया। "

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी द्वारा विरोधाभासों को स्वीकार करने के अलावा

ई. आई. ए. रिपोर्ट में, इसने वनीकरण के लिए एक वैकल्पिक स्थल प्रदान करने के लिए वन विभाग के साथ एक समझौते के साथ आवश्यक वन मंजूरी को प्रतिस्थापित करने की मांग की। यह कानून में टिकाऊ नहीं है। ई. आई. ए. प्रक्रिया में परिकल्पित 2006 की अधिसूचना और अन्य वैधानिक अधिनियमों के अनुपालन को एक तदर्थ तंत्र तक कम नहीं किया जा सकता है जहां परियोजना प्रस्तावक सामग्री का खुलासा करने में अपनी घोर विफलता को दूर करना चाहता है।

देर से जानकारी दें और आवश्यक मंजूरी लें।

61. कर्नाटक एस. ई. आई. ए. ए. ने एन. जी. टी. के समक्ष अपने हलफनामे में मांग की

यह तर्क देने के लिए कि निर्वाचन आयोग को अनुमति अपीलार्थी द्वारा आवश्यक वन मंजूरी प्राप्त करने के अधीन दी गई थी। यह कहा गया थाः

" वन क्षेत्र एन. जी. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण V. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ख) एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा सड़क के वर्तमान संरेखण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जैसा कि एस. ई. आई. ए. ए. को प्रस्तुत किया गया है और परियोजना के दायरे में किसी भी बदलाव के लिए नए सिरे से मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें शामिल वन भूमि का विवरण पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में शामिल है। द. प्रस्तावक ने वन विभाग को अपने पास उपलब्ध 25 एकड़ भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

पर्यावरण मंजूरी के लिए (इसके बाद, जिसे "ईसी" के रूप में भी जाना जाता है) क्योंकि यह पूर्व पर्यावरण मंजूरी है। फिर भी, विशिष्ट निर्वाचन आयोग में शर्तें लगाई गई हैं कि ऐसी अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त की जाएगी।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग लागू कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

जैसे कि वनों और झीलों से संबंधित पूर्व मंजूरी। किसी भी गैर-अनुपालन को ईसी शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

और कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

कर्नाटक एस. ई. आई. ए. ए. के अनुसार, इसमें कोई कमी नहीं थी।

ई. सी. का राग तब तक जब तक विशिष्ट शर्तें लगाई गई थीं

सी. टी. प्रस्तावक आवश्यक मंजूरी लेने के लिए।

62. अधिसूचना से पहले, नियामक निकायों से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने दिनांकित एक अधिसूचना द्वारा [आर्क 2011, एक ई. सी. के अनुदान में वन भूमि को शामिल करने वाली परियोजनाओं के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की। प्रासंगिक भाग:

" ..... इस संबंध में, ई. आई. ए. के पैरा 8 (वी) के लिए भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

अधिसूचना, 2006 जो इस प्रकार हैः

" आवेदनों की प्राप्ति या परियोजनाओं या गतिविधियों की पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी, या संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा जांच, या दायरा, या मूल्यांकन, या निर्णय से पहले अन्य नियामक निकायों या प्राधिकरणों से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि इनमें से कोई भी क्रमिक रूप से कानून की आवश्यकता के कारण या आवश्यक तकनीकी कारणों से ऐसी मंजूरी पर निर्भर न हो।

:

पहले के निर्देशों का दमन, अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी परियोजनाओं पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएँ।

आई. (ख) जिन परियोजनाओं के लिए टी. ओ. आर. पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं

पर्यावरण मंजूरी के प्रस्ताव द्वारा अभी तक होना बाकी है

प्रस्तुत किया गयाः

उन प्रस्तावों के मामले में, जिनमें वन भूमि शामिल है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और जिनके लिए टीओआर पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं, परियोजना

प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवश्यक चरण-I वानिकी मंजूरी दी गई है और इसकी प्रति साथ में प्रस्तुत की गई है।

वैकल्पिक रूप से, प्रस्तावक को अपनी भूमि से हटा देना चाहिए। आवश्यकता, परियोजना में शामिल वन भूमि और बिना किसी वन भूमि के इस प्रकार संशोधित प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

ईएसी द्वारा। उन परियोजनाओं के मामले में जहां परियोजना में शामिल कुल वन भूमि के हिस्से के लिए वन मोड़ (चरण I मंजूरी) को मंजूरी दी गई है, प्रस्ताव पर केवल उस भूमि के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए

वन मोड़ को मंजूरी दी गई है और गैर-वन भूमि, यदि कोई भी।

63. एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने निर्धारित किया कि जहां टी. ओ. आर. जारी किए गए हैं और ई. सी. के अनुदान के लिए ई. आई. ए. रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है, परियोजना

प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वन मंजूरी दी गई है। अनुदान की एक प्रति उनके साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ईसी के अनुदान के लिए आवेदन। वैकल्पिक रूप से, परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित परियोजना से किसी भी वन भूमि को हटा सकता है जो परियोजना से प्रभावित हो सकती है। एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. ने स्पष्ट किया कि जहां परियोजना में शामिल कुल वन भूमि के केवल एक हिस्से के लिए वन मंजूरी प्राप्त की गई है, प्रस्ताव पर केवल उस भूमि की सीमा तक विचार किया जाएगा जिसके लिए वन मोड़ को मंजूरी दी गई है।

64. 9 सितंबर 2011 और 18 मई 2012 की दो बाद की अधिसूचनाओं द्वारा, परियोजनाओं के लिए ईसी के अनुदान से संबंधित प्रक्रिया

वन भूमि को शामिल करते हुए निम्नलिखित शर्तों में संशोधन किया गयाः

एन. जी. ए. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मंजूरी, इसे पर्यावरण मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकरण का निर्णय प्राप्त करने के लिए फाइल पर संसाधित किया जाएगा। में। जिन मामलों में सक्षम प्राधिकरण ने पर्यावरण मंजूरी देने की मंजूरी दी है, प्रस्तावक को उसी और 12 महीने की समय सीमा के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 18 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जिस पर निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा, प्रस्तावक को आवश्यक चरण-I वानिकी मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा। प्रस्तावक द्वारा चरण I वानिकी मंजूरी प्रस्तुत किए जाने के बाद ही औपचारिक पर्यावरण मंजूरी जारी की जाएगी।

निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित, जब और जब चरण-I वानिकी

ई. ए. सी. को मामले दर मामले प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए परियोजना के पर्यावरणीय गुणों के आधार पर

और साइट। ऐसी स्थिति में ई. ए. सी. या तो दोहरा सकता है कि

पहले की सिफारिशें या इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर निर्णय लेना,

जैसा कि मामला हो सकता है। संभावित स्थिति में, एक पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा जाता है,

समिति एक साथ आवश्यकता पर निर्णय लेगी पुनर्मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़/जानकारी और साथ ही एक की आवश्यकता

नई सार्वजनिक सुनवाई "।

(जोर दिया गया)

65. परियोजना के प्रस्तावक अस्तित्व का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं

बाकी भूमि और एस. ई. ए. सी. को [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करें।

12 महीने या 18 महीने के भीतर परियोजना, जैसा भी मामला हो। यदि परियोजना प्रस्तावक निर्धारित समय के भीतर आवश्यक वन मंजूरी जमा करने में विफल रहता है, तो ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. को परियोजना की पुनः जांच करने और यह तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि परियोजना के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं। वन मंजूरी के प्रकटीकरण के लिए परिकल्पित प्रक्रिया प्रक्रिया के साथ-साथ वन मंजूरी उप-अनुदान प्रस्तुत करना वन भूमि की समय पर और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करता है। जहां ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की राय है कि निर्धारित समय के भीतर आवश्यक वन मंजूरी प्रस्तुत करने में परियोजना प्रस्तावक की विफलता पर अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है, वह निर्देश दे सकता है कि एक नई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाए।

66. अपीलार्थी ने प्रस्तावित वन भूमि पर अपने विरोधाभासी रुख को सुधारने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित करने के लिए एस. ई. ए. सी. को एक वचन पत्र प्रस्तुत करके आवश्यक वन मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा।

वन विभाग के सहयोग से इसके स्वामित्व वाली भूमि के एक वैकल्पिक भूखंड में वनरोपण। इस तरह की प्रक्रिया की न तो 2006 की अधिसूचना के तहत परिकल्पना की गई है और न ही समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में है। इसी तरह, एस. ई. ए. सी. यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य था कि परियोजना प्रस्तावक ने वन मंजूरी देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो। इसके बजाय, एस. ई. ए. सी 31 मार्च 2011,9 सितंबर 2011 और 18 मई 2012 के ओ. एम. के उल्लंघन में अपीलार्थी द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर आगे बढ़े। कई कमियों के बावजूद जो कार्यवृत्त में नोट की गई थीं

एस. ई. ए. सी. की बैठक में, इसने एस. ई. आई. ए. ए. को पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की। अपीलार्थी के विरोधाभासी रुख के साथ-साथ इस बात के पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद कि उसे वन मंजूरी लेने से छूट क्यों दी गई थी, एस. ई. आई. ए. ए. को ई. सी. के अनुदान की सिफारिश करने का एस. ई. ए. सी. का निर्णय विवेकहीन है।

जी. 3 पेड़

67. इस न्यायालय के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में, उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पी. आर. आर. परियोजना के लिए प्रस्तावित पेड़ों की संख्या को परियोजना प्रस्तावक द्वारा छिपाया गया था। जबकि अपीलार्थी ने कहा कि केवल 200-500 पेड़ एन. जी. ए. एल. यू. आर. यू. विकास प्राधिकरण v.

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह संख्या वास्तव में 16,000 तक थी, परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपीलार्थी ने 2014 ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहाः

" इस परियोजना के लिए लगभग 519 पौधे काटे गए हैं; गिरे हुए पौधों की संख्या का कम से कम तीन गुना आसपास के क्षेत्रों में फिर से लगाया जाएगा।

उप वन संरक्षक, बी. डी. ए. ने 24 तारीख को एक उत्तर में

2009 सूचना के अधिकार के बारे में पूछताछ में कहा गया हैः

" अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में

सूचना अधिनियम, 2005, उन पेड़ों की संख्या जिन्हें काट दिया जाएगा परिधीय रिंग रोड का निर्माण-भाग I प्रदान किया गया है

नीचेः

एस. आई. मांगी गई जानकारी

दी गई जानकारी

के लिए

नहीं।

द.

नीचे बताए गए पेड़

है।

यहाँ

मांगी गई जानकारी

बागवानी से संबंधित है और

काटने के बारे में

वन विभाग के गठन के लिए काटा जाएगा

पेड़-पौधे

परिधीय रिंग रोड भाग-I

का गठन

परिधीय रिंग रोड

1. नारियल के पेड़ः 3837

भाग-I

2. आम के पेड़ः 3142

3. अमरूद के पेड़ः 1361

4. सपोटा के पेड़ः 0818

5. सुपारी के पेड़ः 0287

6. जामुन के पेड़ः 0084

7. कटहल के पेड़ः 0059

8. इमली के पेड़ः 0040

9. सागौन के पेड़ः 0201

11. नीम के पेड़ः 0028

12. नीलगिरी के पेड़ः 7000

कुल

16,785

68. उप वन संरक्षक ने खुलासा किया कि आसपास

5 निष्पादन के उद्देश्य से पेड़ों को काटने का प्रस्ताव किया गया था

परियोजना। खुलासा करने में परियोजना प्रस्तावक की घोर विफलता

कटने के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या भी प्रत्युत्तर से स्पष्ट है।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा। यह प्रस्तुत किया गया थाः

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. पैरा सं. 6 के जवाबः जैसा कि पहले कहा गया था, पेड़ों की कटाई और सुधार के बारे में स्पष्टीकरण बाद में किए गए हैं और इसके अलावा भूमि के एक वैकल्पिक टुकड़े में वनीकरण के उद्देश्य से 25 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। पी. जी. में भी यही दिखाया गया है। 184 में से

आई. ए. नहीं. 53243/2019 "।

ई. आई. ए. की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना के लिए आवश्यक क्षेत्र में केवल कुछ ही पेड़ हैं। हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता हो सकती है, 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों को छिपाना

परियोजना अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जांच एक स्वीकार्य तरीका नहीं हो सकता है। विवाद के इस पहलू पर खुलासे और मूल्यांकन के संबंध में एक गंभीर कमी थी।

जी. 4 पाइपलाइनें

69. ई. आई. ए. प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 12 जून 1999 की एक अधिसूचना के आधार पर केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था।

70. प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी प्राधिकारी और मैसर्स के प्रतिनिधियों के बीच 2 फरवरी 2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में रखा है। पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड। यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना तीन स्थानों-पी. आर. आर. सी. एच. 7600, पी. आर. आर. सी. एच. 29100 से 29500 और सी. एच. 31100 से 31800 और पी. आर. आर. सी. एच. 39500 पर पेट्रोनेट पाइपलाइन को पार करती है। यह सहमति हुई कि एक क्रॉसिंग के लिए एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जबकि अन्य दो क्रॉसिंग के लिए यह सहमति हुई कि पी. आर. आर. परियोजना को निकासी ऊंचाई के लिए बढ़ाया जाएगा। यह कहा गया थाः

" एम. डी., एम/एस. पेट्रोनेट एम. एच. बी. लिमिटेड ने सहमति व्यक्त की कि पी. आर. आर. को न्यूनतम मंजूरी के साथ उच्च स्तर पर लिया जा सकता है। 5.20 जमीनी स्तर से मीटर और क्रासिंग अधिमानतः बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v होगा।

एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सही कोणों पर। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी आधार का निर्माण नहीं किया जाएगा

18.00 के उनके उपयोगकर्ता के अधिकार (ROU) के भीतर। "

मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की मांग की कि प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना एक सीमा को पार न करे।

पाइपलाइन और जहां यह था, यह समर्थन स्तंभों के उपयोग के बिना पर्याप्त ऊंचाई पर था। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के आधार पर बैठक से पहले प्रस्तावित संरेखण पर लौटने के लिए विवश था। इस पर उन निर्देशों में विचार किया जाएगा जिन्हें यह न्यायालय जारी करना चाहता है।

एच एस. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

तथ्यों के अनुसार, मामले का एक और पहलू है जो इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता है। एस. ई. ए. सी. ने 11-18 नवंबर 2014 के बीच अपनी 121 वीं बैठक में एस. ई. आई. ए. ए. को पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की। एस. ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन 2006 की अधिसूचना द्वारा संरचित और परिभाषित किया गया है। इस स्तर पर, एस. ई. ए. सी. को ई. सी. के अनुदान के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत ई. आई. ए. रिपोर्ट सहित आवेदन और अन्य दस्तावेजों की "विस्तृत जांच" करने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरा होने पर, एस. ई. ए. सी. एस. ई. आई. ए. ए. को निम्नलिखित के लिए "स्पष्ट सिफारिशें" करता हैः (i) निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व निर्वाचन आयोग का अनुदान; या (ii) आवेदन की अस्वीकृति। महत्वपूर्ण रूप से, ईसी के अनुदान के लिए एस. ई. ए. सी. द्वारा की गई सिफारिशें, आम तौर पर एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इन पर आधारित होनी चाहिए - " कारण "। एस. ई. ए. सी. ने अपनी 121 वीं बैठक में अपनी सिफारिशों के लिए निम्नलिखित कारणों को दर्ज कियाः

" पी. पी. और पर्यावरण सलाहकार बैठक में उपस्थित थे।

पी. पी. ने कहा कि परियोजना की कल्पना की गई थी और 2006 ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले 2003 में सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब जाइका है

ईसी के लिए जोर देना।

पी. पी. ने समिति द्वारा उठाए गए उपरोक्त प्रश्नों का अनुपालन उनके दिनांकित 12.11.2014 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने ईसी जारी करने के लिए विचार के लिए एस. ई. आई. ए. ए. को प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

पीपी ने बैठक के दिन एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है

निम्नलिखित बिंदुः

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. उपयोगिता क्रॉसिंग सुविधा में पैदल यात्री क्रॉसिंग प्रदान करना

सभी सावधानियां बरतें।

2. पर्याप्त सीडी काम करता है

3. राजा कलावे के रखरखाव के लिए

4. वनरोपण का काम अलग से करना

5. एनएच/एसएच/एम. डी. आर./वी. आर. के प्रमुख क्रॉसिंग 6. बिना सड़क के सभी गांवों से प्रस्तावित सड़क तक पहुंच

शुल्क लेते हैं।

की जाने वाली कार्रवाईः सचिव, एस. ई. ए. सी. प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

एस. ई. आई. ए. ए. तदनुसार "।

72. एस. ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तुत कारणों का मूल्यांकन इस मानक के संदर्भ में किया जाना चाहिए कि इसके लिए कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

सिफारिश करें। एस. ई. ए. सी. द्वारा किया गया विश्लेषण, कम से कम कहने के लिए, दोनों ही कार्यहीन है और उन कारणों का खुलासा करने में विफल रहता है जिन पर उसने एस. ई. आई. ए. ए. को पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की थी। एस. ई. ए. सी. केवल अपीलार्थी द्वारा एस. ई. ए. सी. द्वारा अगस्त, 2014 की अपनी 115 वीं बैठक में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर पर आगे बढ़ता है। इस दृष्टिकोण से, एस. ई. ए. सी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है। 73. एस. ई. ए. सी. उन विशिष्ट कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है जिन पर वह एक EC.The आवश्यकता के अनुदान की सिफारिश करता है कि

एस. ई. ए. सी. को 2006 की अधिसूचना के तहत अनिवार्य होने के अलावा, दो कारणों से महत्वपूर्ण कारणों को दर्ज करना चाहिएः (i) एस. ई. ए. सी. 2006 की अधिसूचना के संदर्भ में एस. ई. आई. ए. ए. को एक सिफारिश करता है। नियामक प्राधिकरण को सिफारिश पर विचार करना होगा और परियोजना प्रस्तावक को अपने निर्णय से अवगत कराना होगा। नियामक प्राधिकरण, जैसा कि 2006 की अधिसूचना के पैरा 8 (ii) में 1 प्रदान किया गया है, आम तौर पर स्वीकार करेगा ई. ए. सी. की सिफारिशें। इस प्रकार, एक प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान में एस. ई. ए. सी. की भूमिका महत्वपूर्ण है; और (ii) निर्वाचन आयोग का अनुदान एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 16 के तहत एन. जी. टी. के समक्ष अपील के अधीन है।

2010. एस. ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तुत कारण उस कड़ी का गठन करते हैं जिस पर एस. ई. आई. ए. ए. या तो ई. सी. को अनुदान देता है या अस्वीकार करता है। कारण उस सामग्री का निर्माण करते हैं जिस पर एनजीटी द्वारा विचार किया जाएगा जब वह ईसी के अनुदान को चुनौती देता है।

18 " (ii) नियामक प्राधिकरण आम तौर पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा।

एमआर। सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

74. श्रीरंगनाथन केपी बनाम भारत संघ 1 में, केजीएस अरनमुला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को ईसी के अनुदान को चुनौती दी गई थी।

एनजीटी ने ईसी के अनुदान तक की प्रक्रिया में त्रुटि पाई क्योंकि क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों से निपटा नहीं गया था। एन. जी. टी. ने हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत जानकारी की व्यापक समीक्षा की और इस प्रकार कहाः

" 182. ..... ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. पर एक कर्तव्य डाला जाता है जो परियोजनाओं या गतिविधियों की जांच, दायरा और मूल्यांकन करते समय सतत विकास के मुख्य सिद्धांत और सावधानी के सिद्धांत को लागू करने के लिए हो सकता है। हालांकि, तत्काल मामले में यह स्पष्ट है कि ई. ए. सी. न केवल ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 द्वारा अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में बुरी तरह विफल रहा है, बल्कि उससे कानूनी अपेक्षाओं को भी निराश किया है। तत्काल मामले में एक विशाल परियोजना के लिए, के लिए विचार

इस तरह की सरसरी और मनमाने तरीके से मंजूरी दी गई है। निहितार्थ पर ध्यान दिए बिना और

पर्यावरणीय मुद्दों का महत्व। ..... इस प्रकार, ई. ए. सी. ने ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 द्वारा अनिवार्य रूप से खुद को संचालित नहीं किया है क्योंकि उसने उपलब्ध सामग्रियों और आपत्तियों पर विचार करके उचित मूल्यांकन नहीं किया है।

एक बनाने से पहले परियोजना का उचित मूल्यांकन

ईसी के अनुदान के लिए सिफारिश "।

न्यायालय ने कहा कि ई. ए. सी. ने उचित मूल्यांकन नहीं किया था

उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री और आपत्तियों पर विचार करने में विफलता को देखते हुए। इस प्रकार ई. ए. सी. नियामक प्राधिकरण को अपनी सिफारिश भेजने से पहले परियोजना का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा था।

75. लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ

भारत, 20 के लिए 1994 की अधिसूचना के तहत एक आवेदन किया गया था

मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के नोंगत्राई गाँव में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए ईसी का अनुदान। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया और प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाडिया ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित मामलों में आनुपातिकता लागू की जानी चाहिए।

न्यायिक समीक्षा के हिस्से के रूप में। पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को इस प्रकार व्यक्त किया गया हैः

19 2014 सभी (1) एनजीटी रिपोर्टर (1) (एसजेड) 1 20 (2011) 7 एससीसी 338 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इन परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है? क्या किसी बाहरी कारक ने निर्णय को प्रभावित किया है? क्या निर्णय सख्ती से लिया गया है?

क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून (यदि कोई हो) में अंतर्निहित विधायी नीति के अनुसार? क्या निर्णय इस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है कि निर्णय निर्माता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक विचारों के आधार पर एक संतुलित निर्णय पर पहुंचा है? अतः न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए कि

एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित है, जो सही सिद्धांतों पर आधारित है, और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त है।

76. एस. ई. ए. सी. को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एक विशेषज्ञ के तरीके से बोलना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रत्येक प्रासंगिक पहलू पर खुद को लागू करना है।

एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा निर्धारित समय अवधि से परे आयोजित एक प्रक्रिया को अस्वीकार करने में अपनी विफलता के अलावा, एस. ई. ए. सी. ई. आई. ए. प्रक्रिया के संचालन में अपीलार्थी की घोर विफलता पर अपना दिमाग लगाने में विफल रहा, जिसके कारण ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एस. ई. ए. सी. को ई. आई. ए. रिपोर्ट या किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसे भेजा गया स्पष्टीकरण। एस. ई. ए. सी. द्वारा ई. सी. की अनुशंसा के लिए ठोस कारणों के अभाव में, प्रक्रिया अपनी प्रकृति से, परिणाम के साथ, दूषित हो जाती है।

1 अदालतें और पर्यावरण

77. अदालतों को आज बढ़ते पर्यावरणीय मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। एक विकास परियोजना जिसकी अवधारणा वर्ष की शुरुआत में की गई थी

2005 यह 15 साल से अधिक समय बाद इस न्यायालय के समक्ष सामने आया है। वर्तमान मुकदमेबाजी तक की अवधि में असंख्य निर्णय और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक परियोजना की देरी में योगदान देती है जिसे रेखांकित किया गया था। शहर को अव्यवस्थित बनाने की एक प्रमुख विकास नीति को उप-सेवा प्रदान करना। जहाँ 2006 की अधिसूचना के तहत परिकल्पित परियोजना प्रस्तावक और संस्थान

अपने कर्तव्य का त्याग करें, यह न केवल पर्यावरण है जो एक गंभीर झटका है, बल्कि राष्ट्र के विकास को भी नुकसान पहुंचाता है। अंतिम विश्लेषण में, इसके लिए परिकल्पित विचारशील और सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुपालन

पर्यावरण की सुरक्षा राष्ट्र के विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक सहजीवी संबंध सुनिश्चित करती है।

बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

78. विरोधी प्रणाली, अपने स्वभाव से, अधिकारों पर आधारित है। न्याय की खोज में, एक विजयी पक्ष और एक पक्ष को अभिनिर्धारित करना असामान्य नहीं है

हारने वाला पक्ष। तथापि, पर्यावरण और विकास के मामलों में, दोनों के बीच कोई लेन-देन नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा विकास और विकास का एक अंतर्निहित घटक है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर चार्ल्स ई कॉर्कर ने "पर्यावरण पर मुकदमा चलाते हुए क्या हम इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं?" शीर्षक से एक भाषण में कहा। 2 1 1: .

" मेरा जवाब है हां। हम पर्यावरण के बारे में अपने मुकदमेबाजी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत सारे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और हमें किसी भी तरह से कटौती करनी चाहिए-मुझे नहीं पता कि कैसे, किसी भी मामले में-उन मुकदमों की संख्या दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत, या पचास है।

प्रतिशत। मेरा मतलब यह है कि ध्यान, प्रयास और पर्यावरणीय चिंता का एक बड़ा हिस्सा मुकदमों पर केंद्रित किया जा रहा है। मुकदमे स्वयं हमारी सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, हम सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं को छोड़ने के खतरे में हैं

के हंगामे के कारण अनसुलझा या और भी बदतर हो गया

मुकदमेबाजी ने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ पूरा हो गया है।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचे का पालन करने के अपने कर्तव्य में विफल रहने पर, अदालतों को सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर कार्रवाई करते हुए इस तरह के कार्यों को अमान्य करने के लिए कहा जाता है। समान रूप से महत्वपूर्ण हालाँकि, इस बात से सावधान रहना चाहिए कि सतत विकास सुनिश्चित करने की खोज में केवल पर्यावरणीय मुकदमेबाजी ही रामबाण नहीं है।

79. पर्यावरण की सुरक्षा न केवल अदालतों की सक्रिय भूमिका पर आधारित है, बल्कि इसके भीतर मजबूत संस्थागत ढांचे पर भी आधारित है।

जिसे प्रत्येक हितधारक सतत विकास सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का पालन करता है। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध पर्यावरण शासन के ढांचे के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधि निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण

शासन कानून के शासन पर आधारित है और हमारे संविधान के मूल्यों से उभरता है। जहाँ पर्यावरण का स्वास्थ्य संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में जीवन के अधिकार को संरक्षित करने की कुंजी है 21 29 अक्टूबर, 1970 को पोर्टलैंड, ओरेगन में जल समस्याओं पर अंतरराज्यीय सम्मेलन की तेरहवीं वार्षिक बैठक में दिया गया भाषण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

80. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमारे विश्लेषण ने संकेत दिया है, टीओआर जारी करने से शुरू होने वाली उचित प्रक्रिया विफल रही है और पी. आर. आर. परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान के लिए अग्रणी। परियोजना प्रस्तावक के रूप में अपीलार्थी ने एक समाप्त हो चुके टी. ओ. आर. पर भरोसा करने की मांग की और पुराने प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे बढ़े। में।

उसी समय, ई. सी. को अनुदान देने की प्रक्रिया वन भूमि के अस्तित्व के साथ-साथ कटाई के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या पर विरोधाभासों से भरी हुई थी।

81. एस. ई. ए. सी. ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से भरोसा करके अपनी भूमिका और कार्य का त्याग कर दिया और

समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा जारी ओ. एम. के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहना। ई. सी. के अनुदान के लिए एस. ई. आई. ए. ए. को अपनी सिफारिश के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करने में विफल रहने के कारण, यह अपने कार्यों में विफल रहा।

82. मामले के इस दृष्टिकोण में, न तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और न ही निर्णय स्वयं कानूनी रूप से पारित हो सकता है। समान रूप से, इस न्यायालय को बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के विकास को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा विचार है कि जहां सड़क परियोजना की आवश्यकता को निर्णय लेने की गणना में शामिल किया जाता है, वहीं पर्यावरण की मौजूदा स्थिति पर भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए। 2015 में एन. जी. टी. के समक्ष दायर की गई अपील का अंत में निपटान कर दिया गया। केवल 2019 में विलंबित चरण।

जे दिशाएँ

83. एक आवश्यक संतुलन लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं।

संविधानः

((i)

अपीलार्थी को एक नए त्वरित ई. आई. ए. का संचालन करने का निर्देश दिया जाता है

प्रस्तावित पी. आर. आर. परियोजना; बेंगलुरु विकास प्राधिकरण v. एम. आर. सुधाकर हेगड़े [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ii) अपीलार्थी त्वरित ई. आई. ए. के संचालन के उद्देश्य से एक क्षेत्र-विशिष्ट मान्यता प्राप्त ई. आई. ए. सलाहकार को नियुक्त करेगा।

(iii)

वर्तमान निर्णय में उल्लिखित कमियों के साथ-साथ सुनिश्चित करें कि कि अतिरिक्त सावधानियाँ ध्यान में रखी जाती हैं

पर्यावरण की प्रचलित स्थिति;

(iv) अपीलकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न अधिनियमों के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और ओ. एम. के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार करने से पहले एस. ई. ए. सी. को प्रस्तुत कर दिया गया है।

समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ.-सी. सी. द्वारा जारी किया गया; एस. ई. ए. सी. इसके बाद त्वरित ई. आई. ए. रिपोर्ट का आकलन करेगा और

(v)

2006 की अधिसूचना के तहत इसे सौंपी गई भूमिका के अनुसार। यदि यह राय है कि अपीलार्थी ने 2006 की अधिसूचना के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है, तो केवल तभी वह एस. ई. आई. ए. ए. को प्रस्तावित परियोजना के लिए ई. सी. के अनुदान की सिफारिश करेगा। एस. ई. ए. सी. और एस. ई. आई. ए. ए. उचित शर्तें निर्धारित करेंगे। वायु, जल, शोर, भूमि, जैविक और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण और अन्य स्थितियों के संबंध में जो वह उपयुक्त समझता है; और

(vi) अपीलार्थी यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्राधिकारी से परामर्श करेगा कि परियोजना से उन पेट्रोलियम पाइपलाइनों को कोई संभावित नुकसान न हो, जिन पर प्रस्तावित सड़क हो सकती है।

बनाया गया।

84. उपरोक्त निर्देशों को ढालने में, इस न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य को शामिल किया है कि निर्णय से अपील

एन. जी. टी. की याचिका परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायर की गई थी और प्रतिवादियों द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। अपीलार्थी को तेजी से ई. आई. ए. करने का निर्देश देने वाले एन. जी. टी. के आदेश को बरकरार रखा गया है, हालांकि उन कारणों के लिए जो हमने ऊपर बताए हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण एस. ई. ए. सी. या एस. ई. आई. ए. ए. के अंतिम निर्णय को कोई चुनौती नहीं देगा। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार एस. ई. ए. सी. या एस. ई. आई. ए. ए. के निर्णय से किसी भी शिकायत पर पक्षकारों को इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।

85. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। वहाँ होगा लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान